रजिस्ट्री सं० डी० (डी०एन०)-127
REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 1991/भाद्र 19, 1913
No. 38] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 1991/BHADRA 19, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दि इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया

(कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गठित)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1991

फाइल सं 104/19/एकाएक्टस, 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष की दि इंस्टीटयूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया की परिषद की ग्यारहवी वार्षिक रिपोर्ट।

1. प्रस्तावना :

कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 18(5) के अनुसरण में दि इंस्टीटुयट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया की परिषद की 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष की ग्यारहवी वार्षिक रिपोर्ट और इस अवधि के लेखों के लेखापरीक्षित विवरण तथा उन पर इंस्टीट्यूट के कामकाज की लेखा परीक्षक रिपोर्ट सहर्ष प्रकाशित करती है। उक्त वर्ष की समाप्ति से रिपोर्ट की तारीख तक हुई इंस्टीट्यूट की महत्वपूर्ण गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।

2. नई घटनाएं :

2.1 पिछले वर्ष मणिपुर औद्योगिक विकास निगम लि. और असम औद्योगिक विकास निगम लि. ने अपनी सभी सहायक कम्पनियों मे सचिवीय लेखापरीक्षा आरम्भ करने का निर्णय लिया था। पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. ने रोजगार या प्रेक्टिस के लिए कम्पनी सचिवो की सेवाओं का उपयोग करने के लिए अपनी सहायक कम्पनियों को सिफारिश की है। महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम ने अपनी उन सहायक कम्पनियों में जिनकी प्रदत्त पूंजी 25 लाख रुपए से कम है सचिवीय लेखापरीक्षा कराने का सुझाव दिया है। हाल ही मे, गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लि. ने भी अपनी सहायक कम्पनियों में सचिवीय लेखापरीक्षा का अनुमोदन कर दिया है। इस बारे में इसी प्रकार के अभ्यावेदन हरियाणा राज्य वित्त निगम लि., राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लि., आंध्र प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लि., पाण्डिचेरी औद्योगिक विकास तथा निवेश निगम लि., तमिलनाडु राज्य उद्योग सवर्धन निगम लि. और अन्य कई औद्योगिक विकास और निवेश संस्थानो को भी भेजे गए हैं।

2.2 छोटी कम्पनियों में व्यावसायिक अनुशासन लाने और साथ ही इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये कम्पनियां कानून की अनभिज्ञता या व्यावसायिक विशेषज्ञता अथवा समर्थन के कारण कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनजाने में ही अनुपालन न करने के परिणामो से बची रहे, इंस्टीटयूट ने अपने प्रयास जारी रखे और कम्पनी कार्य

विभाग को एक टिप्पणी नोट भेजा है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि कम्पनी अधिनियम 1956 में संशोधन करके छोटी कम्पनियों में पूर्ण-कालिक प्रेक्टिसरत सचिव द्वारा सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट की शुरुआत की जाए। इस प्रकार सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट का शुभारम्भ होने से कम्पनी सचिवों के लिए प्रेक्टिस करने का एक अच्छा क्षेत्र प्राप्त होने में सफलता मिलेगी। विभाग के अनुरोध पर तथा विभाग द्वारा कार्पोरेट प्रबन्ध के व्यावसायीकरण के बारे में पाये सुझावों पर विचार करने की इच्छा से प्रोत्साहित होकर हमने कार्पोरेट प्रबन्ध में व्यावसायिक व्यक्तियों की भूमिका को प्रोत्साहन प्रदान करने के बारे में एक अभ्यावेदन तैयार किया थे। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि ऐसी सभी विवरणियां, जो कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास दाखिल करनी होती है, यदि प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों द्वारा सही प्रमाणित कर दी गई हो तो उन्हें यथा शीघ्र, लगभग 10 दिन के अन्दर, रिकार्ड में लिया जाए।

2.3 इस वर्ष की रिपोर्ट के दौरान श्रीलंका, मारीशस, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और अन्य देशों को पत्र भेजे गए हैं कि वे अपने कानूनों के अधीन कम्पनी सचिवों की नियुक्ति के लिए आई सी एस आई की सदस्यता को मान्यता प्रदान करें।

2.4 यह बड़े संतोष की बात है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण के बोर्ड ने इंस्टीट्यूट के इस अनुरोध पर विचार करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है कि उनके द्वारा सहायता प्राप्त कम्पनियों के बोर्डों में इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ सदस्यों को नामजद किया जाए।

3. परिषद :

3.1 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

1 जनवरी 1991 को परिषद की बैठक में श्री डी. सी. जैन ने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। 1 जनवरी 1991 से एक वर्ष के लिए श्री एन.जे. एन. जवाहरदार को अध्यक्ष और श्री डी.के. प्रह्लाद राव को उपाध्यक्ष चुना गया। इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में श्री डी.सी. जैन द्वारा की गई मूल्यवान सेवाओं के लिए परिषद ने उनकी सराहना की।

3.2 संरचना

केन्द्रीय सरकार ने परिषद में सरकारी नामितो के रूप में श्री वी.के. मजोतरा के स्थान पर कम्पनी कार्य विभाग में संयुक्त सचिव सुधा पिल्लई को 4 जून 1991 से नियुक्त किया है। परिषद के अन्य सभी सदस्य इस रिपोर्ट की तारीख तक अपने पद पर कार्य करते रहे हैं। परिषद में सरकारी नामिती के रूप में श्री वी.के. मजोतरा द्वारा की गई मूल्यवान सेवाओं के लिए परिषद उनकी सराहना करती है।

3.3 परिषद की बैठकें

परिषद ने इस वर्ष में छः बैठकें रखीं।

3.4 परिषद की समितियां आदि

परिषद ने तीन स्थायी और पांच अन्य समितियां गठित कीं। इसके अलावा परिषद ने अपनी सहायता के लिए विभिन्न विशेषज्ञ-ग्रुप और सलाहकार बोर्ड गठित किए। इनकी संरचना रिपोर्ट के परिशिष्ट 'क' में दी गई है।

4 क्षेत्रीय परिषदें और शाखाएं :

4.1 क्षेत्रीय परिषदें

परिषद द्वारा अपने कार्यों में सहायता के लिए गठित चार क्षेत्रीय परिषदों में इस वर्ष सुचारु रूप से काम चलता रहा। इन परिषदों ने सम्मेलन, सेमिनार और बैठकें आयोजित की, विद्यार्थियों के लिए मौखिक शिक्षण और सचिवीय माड्यूलर परामर्श, नियमित रूप से समाचार बुलेटिनों के प्रकाशन तथा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली शाखाओं को सहायता प्रदान करने जैसी सेवाओं को सम्पन्न किया। क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं की गतिविधियां इनके 'न्यूजलैटरों' और चार्टर्ड सैक्रेटरी में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही है। 31 मार्च 1991 को प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग क्षेत्रीय परिषदों की आरक्षण निधि और अधिशेष तथा इनके सदस्यों और विद्यार्थियों की संख्या की स्थिति इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ख' में दी गई है।

4.2 शाखाएं

चार क्षेत्रीय परिषदों के क्षेत्राधिकार के अधीन गठित 34 शाखाओं ने विद्यार्थियों की शिक्षा और प्रशिक्षण तथा सदस्यों के व्यावसायिक विकास सम्बन्धी स्थानीय गतिविधियां आयोजित कीं।

4.3 सर्वश्रेष्ठ शाखा पुरस्कारों का वितरण

11 अप्रैल 1991 को नई दिल्ली में अशोक होटल में 19वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य विभाग के सचिव श्री सुरेश माथुर ने 1989-90 के लिए निम्नलिखित सर्वश्रेष्ठ शाखा पुरस्कार वितरित किए :–

(1) सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय शाखा पुरस्कार	जयपुर (उत्तर)
(2) सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय शाखा पुरस्कार	
(क) पूर्वी क्षेत्र	गुवाहाटी
(ख) उत्तरी क्षेत्र	जयपुर
(ग) दक्षिणी क्षेत्र	तिरुवनन्तपुरम
(घ) पश्चिमी क्षेत्र	पुणे

5. सचिवालय :

विद्यार्थियों और सदस्यों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए सचिवालय की कार्यकुशलता और प्रभावकारिता को बनाने की दृष्टि से संगठन संरचना में फेरबदल किया गया। इंस्टीट्यूट के कार्यकलापों के कम्प्यूटरीकरण की दिशा में भी शुरूआत की गई है।

6. सदस्य :

6.1 सदस्यता

इस वर्ष 640 व्यक्तियों को एसोसिएट सदस्य और 139 एसोसिएट सदस्यों को फैलो सदस्यों के रूप में प्रवेश दिया गया। 31 मार्च 1991 को इंस्टीट्यूट के रजिस्टर में 7823 सदस्य दर्ज थे, जिनमें 6095 एसोसिएट तथा 1728 फैलो सदस्य थे। 31 मार्च 1991 को विदेश में रहने वाले सदस्यों की संख्या 173 थी। समीक्षाधीन वर्ष में वार्षिक फीस की अदायगी न करने, मृत्यु अथवा त्यागपत्र देने के कारण 129 सदस्यों (21 फैलो और 108 एसोसिएट सदस्य) के नाम रजिस्टर में से काट दिए गए।

6.2 सदस्यों में वृद्धि

सदस्यों में वृद्धि तथा प्रैक्टिस प्रमाणपत्रधारी सदस्यों से संबंधित आंकड़े इस रिपोर्ट की तालिका परिशिष्ट 'ग' में दिए गए हैं।

6.3 सदस्यों की सूची

नियम 161 के साथ पठनीय कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 (विनियम) की धारा 19(3) के अनुसरण में 1 अप्रैल 1991 को सदस्यों की एक पूरी सूची प्रकाशित कर दी गई है जो सदस्यों को उनके अनुरोध पर उपलब्ध की जाएगी।

6.4 प्रैक्टिस प्रमाणपत्र

इस वर्ष 135 सदस्यों को प्रैक्टिस के लिए प्रमाणपत्र जारी किए गए। वर्ष के अन्त में 1188 सदस[illegible] प्रैक्टिस प्रमाणपत्र थे,

जबकि 31 मार्च 1990 को यह संख्या 1225 थी। सदस्यों की संख्या में इस थोड़ी सी कमी आने का मुख्य कारण विनियम 168 के अधीन ऐसे सदस्यों द्वारा प्रमाणपत्र नवीकरण न कराना है, जो अन्य किसी कार्य/व्यवसाय में लगे हुए हैं। 216 सदस्यों के प्रमाणपत्र वार्षिक फीस न देने, मृत्यु, प्रमाणपत्र वापस कर देने या अन्य कारणों से अयोग्य हो जाने के कारण रद्द कर दिए गए।

परिषद इस बात पर काफी समय से विचार कर रही थी कि इस व्यवसाय को एक स्वतंत्र पहचान और प्रतिष्ठा प्रदान की जाए और पूर्णकालिक प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिव की संकल्पना पर बल दिया जाए, क्योंकि अब इस संकल्पना को कानूनी मान्यता तक प्राप्त हो गई है। यह आवश्यकता व्यवसाय की वर्तमान प्रतिष्ठा के कारण तथा लगातार इस व्यवसाय की जो मान्यता प्राप्त होती जा रही है, उसके साथ ही साथ व्यवसाय के प्रैक्टिस वाले पक्ष के विकास के कारण पैदा हुई। यह आवश्यकता इसलिए भी पड़ी, क्योंकि सचिवीय लेखापरीक्षा को अधिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है और महसूस किया जा रहा है कि यदि प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिवों को स्वतंत्र प्रतिष्ठा बनाई जा सके तो व्यवसाय को समुचित रूप से विनियमित किया जा सकता है। परिषद ने तय किया है कि 1 जून 1991 से उन सदस्यों को प्रैक्टिस प्रमाणपत्र जारी न किए जाएं जो नौकरी कर रहे हों। नौकरी कर रहे जिन सदस्यों को पहले ही प्रैक्टिस प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं, उनका नवीकरण 31 मार्च 1992 के बाद नहीं किया जाएगा, यदि ये सदस्य नौकरी में बने रहते हैं।

7. व्यावसायिक विकास और अनवरत शिक्षा कार्यक्रम :

7.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट ने अपने सदस्यों के व्यावसायिक विकास के लिए प्रयास जारी रखे। छः कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका ब्यौरा इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "घ" में दिया गया है। इंस्टीट्यूट ने पी. एच. डी. चैम्बर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री द्वारा एस एस आई सैक्टर के भावी उद्यमियों के लिए आयोजित छः प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ भी अपने को सम्बद्ध किया।

7.2 कम्पनी सचिव का रेखाचित्र प्रस्तुत करने के लिए 30 मिनट की एक वीडियो फिल्म तैयार की जा रही है जिसमें इस व्यवसाय की भूमिका, संगति और उपयोगिता को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है ताकि लघु उद्यमियों सहित सभी भावी नियोक्ता/उपयोक्ता संगठन इससे लाभ उठा सकें। अनुमान है कि यह वीडियो फिल्म एक लाख रुपयों की लागत से तैयार होगी, इसे मोदी रबड़ लि. और मोदी जेरोक्स लि. ने प्रायोजित किया है।

8. प्रकाशन

8.1 चार्टर्ड सेक्रेटरी

इंस्टीट्यूट की प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका 'चार्टर्ड सेक्रेटरी' को इससे प्रतिरूपण और गुणवत्ता के लिए लगातार प्रशंसा प्राप्त होती रही है। और इसलिए भी कि इसमें सरकारी अधिसूचनाएं, कानूनी फैसलों और लेखों सहित आवश्यक सूचना शीघ्रातिशीघ्र दी जाती रही। मई 1990 में पहले की तरह केन्द्रीय बजट पर एक विशेषांक निकाला गया। चार्टर्ड सेक्रेटरी के पाठकों की संख्या 50,000 है और यह सदस्यों तथा कम्पनी एक्जीक्यूटिवों के बीच सम्प्रेषण का प्रभावशाली माध्यम है; यह पत्रिका उनके व्यावसायिक ज्ञान को अद्यतन करने में सहायक होती है। पहले की तरह इस वर्ष 11 अप्रैल 1991 को आयोजित 19वें राष्ट्रीय कम्पनी सचिव सम्मेलन के उद्घाटन अधिवेशन में औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य विभाग के सचिव श्री सुरेश माथुर ने चार्टर्ड सेक्रेटरी (1990) की 20 जिल्दों में प्रकाशित लेखों में से विधि, प्रबन्ध, और लेखा पद्धति विधाओं में पाए गए सर्वोत्तम लेखों के लेखकों को नकद पुरस्कार दिए।

8.2 मार्गदर्शी नोट्स

इस व्यवसाय के प्रैक्टिस पक्ष के विकास के कारण व्यावसायिक आचरण और नैतिकता के स्तर को सर्वोच्च बनाए रखने की महत्ता और भी बढ़ गई है। वस्तुतः प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिव इस व्यवसाय के दूत हैं इसलिए उनके व्यावसायिक उत्तरदायित्वों के कुशल निर्वाह के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी नोट्स को प्रकाशन के लिए अन्तिम रूप दिया गया है :—

(क) सचिवीय लेखा परीक्षा;

(ख) प्रभारों से संबंधित मामलों का प्रमाणीकरण,

(ग) कम्पनी रजिस्ट्रार के पास फाईल किए जाने वाले अन्य फार्मों का प्रमाणीकरण।

8.3 कम्पनी सचिवीय प्रैक्टिस की हस्त पुस्तिका

खुले पन्नों वाली कम्पनी सेक्रेटरीज हैण्डबुक का कार्य चल रहा है; इसमें मूल विधि और व्यावहारिक टिप्पणियां दोनों को शामिल करने का इरादा है तथा यह कम्पनी ला के विभिन्न पहलुओं और उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम; पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम; विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम; आयकर अधिनियम और एम आर टी पी अधिनियम के सम्बन्धित प्रावधानों पर एक प्रामाणिक संदर्भ हस्तपुस्तिका का काम करेगी।

8.4 निवेशकर्ताओं के लिए मार्गदर्शी माला

शेयरों के अंतरण के विधि और प्रक्रिया सम्बन्धी पहलुओं और मियादी जमाकर्ताओं के अधिकारों के बारे में साधारण निवेशकर्ता को शिक्षित करने के उद्देश्य से इंस्टीट्यूट के अध्ययन, अनुसंधान और प्रकाशन निदेशालय ने दो पुस्तिकाएं तैयार की और इस समीक्षाधीन वर्ष में दिल्ली स्टाक एक्सचेंज ने इन्हें प्रकाशित किया :—

(क) लॉ एंड प्रोसीजर फार ट्रांसफर आफ शेयर्स लिमिटेड आन ए रिकोग्नाईज्ड स्टाक एक्सचेंज; और

(ख) लॉ एंड प्रोसीजर फार कम्पलायंस रीपेमेंट आफ कम्पनी फिक्स्ड डिपाजिट्स।

इस माला की तीसरी पुस्तिका "इंवेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग बाई ए ले इंवेस्टर" भी प्रकाशन के लिए तैयार है।

8.5 अन्य प्रकाशन

"दि रिवर्स स्टडीज आन एनुअल रिपोर्टस आफ कम्पनीज" मुद्रणाधीन है।

"लेखापरीक्षकों की योग्यताएं और निदेशक की रिपोर्ट में उनके उत्तर" तथा "बोर्ड में सचिव की सहभागिता" जैसे विषयों पर अनुसंधान का काम किया जा रहा है।

9. विशेषज्ञ सलाहकार ग्रुप :—

कम्पनी लॉ प्रैक्टिस और सचिवीय प्रैक्टिस की जटिल समस्याओं पर सदस्यों को विशेष सलाह प्रदान करने के लिए भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी. एन. भगवती की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ सलाहकार ग्रुप ने इस वर्ष अपना कार्य करना आरम्भ कर दिया।

10. रोजगार के अवसर :

10.1 इंस्टीट्यूट चैम्बर्स आफ कामर्स, ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राईजेज और अन्य संस्थाओं के माध्यम से अपने सदस्यों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका का प्रचार करने का अपना प्रयास जारी रखे है। इंस्टीट्यूट बैंकिंग विभाग के साथ भी अपना प्रयास जारी रख रही है। हमारे कहने पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अब अपने उन कर्मचारियों को नकद राशि देकर प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है जो कम्पनी सेक्रेटरीशिप परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट इसकी क्षेत्रीय परिषदें और

शाखाएं रोजगार सेवा योजना के अंतर्गत कम्पनियों को नौकरी के लिए सदस्यों की सूची भेज कर रोजगार सेवाएं प्रदान करने का काम जारी रखे हैं। इस वर्ष इंस्टीट्यूट द्वारा रोजगार सेवा योजना के अंतर्गत रखी गई उम्मीदवारों की सूची में से 101 कम्पनियों ने उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची प्राप्त करने की सुविधा का लाभ उठाया। कम्पनियों को 'चार्टर्ड सेक्रेटरी' में विज्ञापन देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि उन्हें कहीं अधिक उम्मीदवारों से उत्तर मिल सकें।

10.2 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 383क में 1988 में किए गए संशोधन के अनुसार इस धारा से मुद्रा सम्बन्धी सीमाएं हटा दी गई थीं और सरकार को मुद्रा सम्बन्धी सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था; इस संशोधन के अनुसरण में व्यापार और उद्योग वर्ग लगातार मुद्रा सीमा को बढ़ाने के लिए दबाव डालता रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इंस्टीट्यूट का गठन कोर्पोरेट प्रबंध के व्यावसायीकरण के लिए संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था और यह भी कि कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 मार्च 1991 को ऐसी कम्पनियों की संख्या केवल 4200 थी, जिनकी शेयर पूंजी 50 लाख रुपए या इससे अधिक है, जबकि जुलाई 1991 में इंस्टीट्यूट के रजिस्टरों में 8000 सदस्य पंजीकृत है, परिषद् ने सरकार को एक नोट भेजा है, जिसमें अनुरोध किया है कि मुद्रा सम्बन्धी अधिकतम सीमा को अधिनियम में ही शामिल कर दिया जाए और प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों की सेवाएं ऐसी छोटी कम्पनियों के लिए भी इस्तेमाल की जाएं, जिनमें पूर्णकालिक सचिव नियुक्त करना आवश्यक नहीं है।

11. व्यवसाय की मान्यता :

इस समीक्षा वर्ष के दौरान प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों के लिए निम्नलिखित मान्यताएं प्राप्त की गई हैं :—

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन कम्पनियों द्वारा कम्पनियों के रजिस्ट्रार को फाइल किए जाने वाले दस्तावेजों का प्रमाणीकरण ताकि इन दस्तावेजों को रजिस्ट्रार अपने रिकार्ड में लगभग 10 दिनों की युक्तियुक्त अवधि में अपने रिकार्ड में ले ले।

(ख) पूंजी निर्गम (पूंजीकरण की छूट) आदेश, 1991 के अधीन प्रमाणित करना कि जो कम्पनी पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत एक करोड़ रुपए तक के बोनस निर्गमों के लिए छूट का दावा पेश कर रही है, उसने आदेश के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रभारों से संबंधित दस्तावेजों का प्रमाणीकरण के कार्य का आवटन; इनमें विजय बैंक, बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंक, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया, इण्डियन बैंक शामिल हैं।

(घ) कम्पनी और इसके निवेशकों के करार करने की शक्तियां, ऋण सीमा, सदस्यों की सूची, पाण्डिचेरी और औद्योगिक सवर्धन विकास और निवेश निगम लि. द्वारा पूंजी निर्गम (छूट) आदेश, 1969 के अधीन प्रस्तावित ऋणों की छूट, संकल्प आदि के बारे में प्रमाणीकरण।

12. उन्नीसवां राष्ट्रीय सम्मेलन :

"औद्योगिक विकास के लिए रणनीतियां" विषय पर कम्पनी सचिवों का उन्नीसवां राष्ट्रीय सम्मेलन अशोक होटल, नई दिल्ली में 11 से 13 अप्रैल, 1991 तक हुआ। देश के विभिन्न भागों से लगभग 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पाकिस्तान से भी प्रतिनिधि आमन्त्रित किए गए थे। सम्मेलन का उद्घाटन भारत सरकार के औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य विभाग के सचिव श्री सुरेश माथुर ने किया। प्रख्यात उद्योगपति श्री हरिशंकर सिंघानिया ने मुख्य भाषण दिया। तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता और भाषणकर्ताओं में विख्यात विद्वान एन. मोहन्ती, सचिव, कार्मिक पेंशन तथा शिकायत मंत्रालय, बंसीधर, अध्यक्ष, डी सी एम – श्रीराम इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज, जी. वी. जी. कृष्णामूर्ति, सदस्य, विधि आयोग और विश्वविख्यात कार्टूनिस्ट आर. के. लक्ष्मण शामिल थे। समापन भाषण कम्पनी लॉ बोर्ड के अध्यक्ष श्री एस. पी. उपासनी ने दिया।

13. कम्पनी अधिनियम, 1956 का पुनः संहिताकरण :

इंस्टीट्यूट ने कंपनी अधिनियम, 1956 के पुनः संहिताकरण विषय पर एक कार्यशाला 14 अप्रैल, 1991 को आयोजित की, जिसमें विभाग, इंस्टीट्यूट के सदस्यों और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों एस. ई. बी. आई. चैम्बर्स आफ कामर्स एंड ट्रेड एसोसिएशनों ने निम्नलिखित प्रमुख मामलों से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझावों पर विचार विमर्श किया :

(क) कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन और इससे संबंधित मामले

(ख) कम्पनियों का प्रबन्ध और प्रशासन; तथा

(ग) निवेशकर्ताओं का संरक्षण और इससे संबंधित मामले।

कम्पनी कार्य विभाग को इस कार्यशाला की रिपोर्ट विचारार्थ और आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

14. परिप्रेक्ष्य योजना :

इस वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सी. आर. शाह की अध्यक्षता में गठित परिप्रेक्ष्य योजना ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसमें अगले दस वर्षों में इंस्टीट्यूट के लिए भलीभांति तैयार की गई योजना का स्वरूप दिया गया है। परिप्रेक्ष्य योजना की प्रमुख विशेषताएं क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के अध्यक्षों को उनके विचार जानने के लिए परिचालित की गई; इसे 19वें राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों को भी दिया गया ताकि वे सम्मेलन के खुले अधिवेशन में अपने सुझाव दे सकें। परिप्रेक्ष्य योजना का सारांश चार्टर्ड सेक्रेटरी के मई 1991 में भी प्रकाशित किया गया जिससे सदस्यगण अपनी टिप्पणियां और सुझाव दे सकें। परिषद ने सिद्धान्त रूप में रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और सचिवालय इस परिप्रेक्ष्य योजना को प्रथम चरण में कार्यान्वित करने के लिए इसके तरीके तैयार कर रहा है।

15. सदस्यता-उपरान्त अर्हता पाठ्यक्रम :

परिषद् द्वारा यथाअनुमोदित सदस्यता उपरान्त अर्हता परीक्षा के लिए ड्राफ्ट विनियमों को प्रधिनियम के अधीन अपेक्षा के अनुसार अनुमोदन के लिए सरकार को दिसम्बर 1990 में भेज दिया गया।

16. अधिनियम और विनियमों में संशोधन :

अधिनियम की धारा 7 में इंस्टीट्यूट के सदस्यों को कंपनी सचिव का जो कानूनी पदनाम दिय गया है, उसका प्रायः इस रूप में गलत अर्थ लगाया जाता है, जैसे कि वह कोर्पोरेट प्रबन्ध द्वारा किसी कंपनी का कर्मचारी सचिव है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दस वर्ष से अधिक समय तक अधिनियम के लागू होने के बाद परिषद् को हुए अनुभव और वर्तमान विनियमों के अधीन अनुशासनिक मामलों की छानबीन में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए परिषद् ने अधिनियम और विनियमों में समुचित संशोधन के सुझाव के लिए एक विनियम समिति नियुक्त की है।

17. विद्यार्थी सेवाएं :

17.1 विद्यार्थियों का पंजीकरण :

रिपोर्टाधीन वर्ष में इंस्टीट्यूट द्वारा 12,161 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए जबकि पिछले वर्ष 12,124 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ था। इस वर्ष के अन्त में वर्तमान पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 50,860 थी, जिसमें विनियम 21(3) के अधीन बढ़ाए गए रजिस्ट्रेशन भी शामिल हैं।

पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या तथा जिन्होंने इण्टरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, उनके बारे में आंकड़े इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "ङ" में दिए गए हैं।

17.2 अध्ययन सामग्री को अद्यतन करना

इस वर्ष सभी प्रमुख विषयों की अध्ययन सामग्री को संशोधित करने का काम पूरा कर लिया गया। तीन पूरक पत्र, आर्थिक तथा अन्य विधान, कार्पोरेट कर प्रबन्ध और योजना, तथा 'अप्रत्यक्ष कराधान – विधि और प्रक्रिया' प्रकाशित किए गए जिन विषयों के परीक्षण पत्रों में संशोधन करना था, उन्हें संशोधित किया गया और उनके सुझाए गए उत्तर प्रकाशित किए गए।

17.3 हिन्दी में अध्ययन सामग्री

इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम के "कम्पनी ला एंड प्रेक्टिस-II की अध्ययन सामग्री का हिन्दी अनुवाद कर लिया गया है।

17.4 मार्ग दर्शी उत्तर तथा विषय-क्रम में प्रश्नों की तैयारी

विद्यार्थियों के लाभ के लिए दिसम्बर, 1990 और जून 1991 की परीक्षाओं के मार्गदर्शी उत्तर ग्रुप-क्रम में प्रकाशित किए गए हैं। इस वर्ष नए पाठ्य विवरण के अधीन होने वाली एण्टरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के सभी विषयों पर विषय-क्रम के प्रश्न भी प्रकाशित कर दिए गए हैं।

17.5 शिक्षण

इस वर्ष पंजीकृत विद्यार्थियों को डाक द्वारा शिक्षण के लिए भरती किया गया। इस वर्ष कुल 11,279 शिक्षण समापन प्रमाण पत्र जारी किए गए और 1,06,624 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया और विद्यार्थियों को वापस भेजी गई।

17.6 मौखिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना

इस वर्ष बड़ौदा शाखा ने पहली बार एक मौखिक शिक्षण केन्द्र स्थापित किया। इस प्रकार समीक्षाधीन वर्ष में इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता प्राप्त 29 मौखिक शिक्षण केन्द्र चल रहे थे।

17.7 स्टुडेण्ट कम्पनी सेक्रेटरी

इंस्टीट्यूट कम्पनी सचिवीय पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लाभ के लिए स्टुडेण्ट कम्पनी सेक्रेटरी बुलेटिन नियमित रूप से प्रकाशित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नवीनतम विधि सम्बन्धी संशोधनों की जानकारी देते हुए उनके अध्ययन को अद्यतन बनाना और विद्यार्थी सेवाओं की प्रशासन तथा प्रेक्टिकल प्रशिक्षण आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सूचना प्रवाह करना है।

17.8 आडियो टेपों पर लेक्चर

उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम तथा एम आर टी पी अधिनियम के अन्तर्गत अवरोधक व्यापार व्यवहार विषयों पर दो आडियो-टेप तैयार करने के अलावा निम्नलिखित चार और आडियो टेप तैयार की गई और रियायती दर पर विद्यार्थियों तथा सदस्यों को उपलब्ध कराई गई :—

(i) एम आर टी पी एक्ट 1969 के अधीन अनुचित व्यापारिक व्यवहार

(ii) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण पहलू

(iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अधीन मूल्य-निर्धारण

(iv) एम आर टी पी एक्ट के अधीन एकाधिकार का नियंत्रण तथा आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रीकरण का निरोध

इन टेपों की प्रतिलिपि भी प्रकाशित कर दी गई है, जिसमें केसों के उद्धरण और संगत कानूनी प्रावधानों का उल्लेख भी किया गया है। विद्यार्थियों और सदस्यों से इन आडियो-व्याख्यानों के बारे में प्रत्युत्तर उत्साह वर्धक है।

17.9 पुस्तकालय सुविधाएं

समीक्षाधीन वर्ष में इंस्टीट्यूट के पुस्तकालय और शाखा पुस्तकालय सहायता योजना के अधीन 1,68,181 रुपए की पुस्तकें खरीदी गईं। अब सभी शाखाओं के पास अपने-अपने पुस्तकालय है। जहां शाखाएं नहीं है, परन्तु कम से कम 100 विद्यार्थी और 10 सदस्य है, वहां ऐसे स्थानों में आवश्यकताएं पूरी करने के लिए गुडगांव, अम्बाला और नासिक में 'अनुपगी पुस्तकालय' स्थापित किए गए हैं। एक पुस्तकालय योजना को दो चरणों में कार्यान्वित करने का विचार है। प्रथम चरण में केवल फाइनल स्तर के विद्यार्थियों को यह सुविधा दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक तरीकों के स्वरूप को अन्तिम रूप दे दिया गया है और पुस्तकें पश्चिमी तथा दक्षिण भारत के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दी गई हैं। दूसरे चरण में इण्टरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें देने की सुविधा का कार्यान्वयन प्रथम चरण की कार्य पद्धति की जांच करने और इस योजना की व्यावहारिकता का मूल्यांकन करने के बाद ही किया जाएगा।

17.10 मुख्यालय का पुस्तकालय

इंस्टीट्यूट ने अनुसंधान और संदर्भ प्रयोजन के लिए अपने मुख्यालय में भी एक पुस्तकालय बनाया है।

18 कैरियर परामर्श कार्यक्रम :

इंस्टीट्यूट द्वारा इस वर्ष सीधे तथा अपनी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के जरिए कई कैरियर परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए। कम्पनी सेक्रेटरीशिप पाठ्यक्रम के बारे में कैरियर परामर्श के लिए प्रदर्शनी-सामग्री, चार्टों, पोस्टरों, ब्रोशरों और ट्रांसपेरेंसियों का उपयोग में लाया गया जिससे कालेज के विद्यार्थियों में इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रति जागरूकता पैदा हो। आकाशवाणी से प्रसारण के अलावा कई समाचार पत्रों और व्यावहारिक पत्रिकाओं में लेख और प्रबन्ध भी प्रकाशित किए गए। पाठ्यक्रम के बारे में आवश्यक सूचना देश भर में सभी विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शी ब्यूरों को भी दी गई। कम्पनी सचिवों के व्यवसाय के बारे में दूरदराज तक के क्षेत्रों में और अधिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ये प्रयास किए गए।

19. परीक्षाएं

19.1 परीक्षाओं का आयोजन

समीक्षाधीन वर्ष में इंस्टीट्यूट ने जून और दिसम्बर, 1990 में सम्पूर्ण भारत में 41 केन्द्रों में तथा एक केन्द्र दुबई में कम्पनी सचिव की प्रीलीमनरी, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं आयोजित की। जून 1990 के सत्र में दो नए केन्द्र इलाहाबाद और भोपाल में आयोगिक आधार पर खोले गए। जून 1990 में, इंटरमीडिएट परीक्षा में 305 और फाइनल परीक्षा में 393 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की जब कि दिसम्बर 1990 में ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या क्रमशः 404 और 518 थी।

19.2 पुराने पाठ्यविवरण के अधीन परीक्षाओं की समाप्ति

पाठ्यक्रम (फाइनल) के अधीन दिसम्बर, 1990 में आखिरी परीक्षा रखी गई थी, जैसा कि पहले घोषणा की गई थी।

19.3 परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम

कम्पनी सचिव परीक्षाओं में हिन्दी के प्रयोगी प्रयोग की नीति की परिषद् की वचनबद्धता के अनुसरण में इंस्टीट्यूट ने अपनी सभी परीक्षाओं के लिए हिन्दी के उपयोग को वैकल्पिक माध्यम के रूप में अनुमति दे दी है। एक और कदम आगे बढ़ाते हुए दिसम्बर, 1990 के लिए इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के ग्रुप-1 के विषयों के प्रश्न पत्र हिन्दी में मुद्रित किए गए ; इसके अलावा प्रीलीमिनरी परीक्षा के प्रश्न पत्र हिंदी में मुद्रित करना जारी रखा गया।

19.4 जून और दिसम्बर, 1990 की परीक्षाओं में कितने परीक्षार्थी बैठे और उत्तीर्ण हुए, उनसे सम्बन्धित आंकड़े इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "ब" में दिए गए हैं।

19.5 पाठ्य विवरण की समीक्षा

पाठ्य विवरण की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है, क्योंकि इस पाठ्य विवरण के कुछ हिस्से आवश्यकता से अधिक बोझिल हो गए हैं तो दूसरी तरफ ऐसे कुछ हिस्से हैं, जिनमें कार्पोरेट सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण अधिनियमों और हाल की घटनाओं को शामिल करने से लाभ हो सकता है।

19.6 अखिल भारतीय पुरस्कार

जून और दिसम्बर 1990 में हुई फाइनल परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रेजीडेण्ट स्वर्ण मैडल पश्चिमी क्षेत्र के श्री पी. रंगानाथन और दक्षिणी क्षेत्र के श्री एन. श्रीनिवासन ने जीते। पं. नेहरू जन्म शताब्दी का वार्षिक पुरस्कार पश्चिम क्षेत्र के श्री सोना कौशिक चन्द्रहास ने प्राप्त किया। जून तथा दिसम्बर 1990 में हुई इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में प्रतिभाशाली प्रदर्शन के लिए प्रेजीडेण्ट रजत मैडल क्रमशः उत्तरी क्षेत्र के श्री मनोज जैन और दक्षिणी क्षेत्र के एस. वासुदेवन ने जीते। ये अखिल भारतीय पुरस्कार 11 अप्रैल 1991 को नई दिल्ली में आयोजित कम्पनी सचिवों के 19वें राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सरकार के औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य विभाग के सचिव श्री सुरेश माथुर (मुख्य अतिथि) ने वितरित किए।

19.7 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता

वर्तमान योग्यता (मेरिट) छात्रवृत्ति योजना के अनुसार जून 1990 की परीक्षाओं में योग्य पाए गए प्रथम नौ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को और दिसम्बर 1990 की परीक्षाओं के लिए दस विद्यार्थियों को सराहनीय रूप से परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए छात्रवृत्तियां दी गई। इसी प्रकार-योग्यता-व-वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत इंस्टीट्यूट ने क्रमशः दिसम्बर 1989 तथा जून 1990 की परीक्षाओं में योग्य पाए परीक्षार्थियों को वित्तीय सहायता मंजूर की।

19.8 योग्यता प्रमाण पत्र

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की योग्यता को मान्यता प्रदान करने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए जून तथा दिसम्बर 1990 में हुई इण्टरमीडिएट तथा फाइनल परीक्षाओं में प्रथम दस रैंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए।

20. प्रबन्ध/प्रेक्टिकल/प्रशिक्षु प्रशिक्षण

20.1 सूचीकरण

समीक्षाधीन वर्ष में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त कम्पनियों की संख्या इस प्रकार थी :

क्षेत्र	प्रबन्ध प्रशिक्षण	प्रेक्टिकल प्रशिक्षण
पूर्व	5	8
उत्तर	38	45
दक्षिण	20	21
पश्चिम	25	33
कुल	88	107

इस वर्ष ने पूर्णकालिक प्रेक्टिस कर रहे 15 कम्पनी सचिवों को प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत किया गया। प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ज की गई कम्पनियों और कम्पनी सचिवों की कुल संख्या तथा विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रायोजित विद्यार्थियों की संख्या इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'छ' में दी गई है।

20.2 प्रशिक्षण को मानीटर करना और मजबूत बनाना

इस वर्ष मुख्यालय और क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं ने प्रबंध/प्रेक्टिकल प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत कम्पनियों को बढ़ाने के लिए प्रयास जारी रखा। विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के उद्देश्यों और आवश्यकताओं से विद्यार्थियों को परिचित कराने को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ने "ए गाइड टू ट्रेनीज" नाम की एक ब्यौरेवार पुस्तिका प्रकाशन के लिए तैयार की है। इसके अलावा और सदस्यों को प्रशिक्षण गाइडों के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध करने का प्रयास किया है, जो विद्यार्थियों के प्रशिक्षण को देखभाल कर सकें और नियमित अन्तराल पर आवश्यक मार्गनिर्देश प्रदान कर सकें।

20.3 सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस वर्ष के दौरान 21 सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से चार-चार दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद और पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद ने आयोजित किए। पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद ने दो कार्यक्रम आयोजित किए। मुख्यालय, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर, चण्डीगढ़, हैदराबाद और बंगलौर शाखाओं ने एक-एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिनमें 632 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

इस वर्ष के दौरान सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम के चार माड्यूलों/पाठ्यक्रमों की सामग्री संशोधित और पुनर्मुद्रित की गई, इसमें विभिन्न विधायी परिवर्तनों और पहले के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों से प्राप्त सामग्री का समावेश किया गया। केस अध्ययन समूह-चर्चा और श्रव्य-दृश्य साधनों के उपयोग पर और अधिक बल दिया गया।

21. लेखे

21.1 आय और व्यय लेखा

इस वर्ष के आय और व्यय लेखे के वित्तीय परिणाम देखने से पता चलता है कि इस वर्ष 8.16 लाख रुपए का अधिशेष रहा जबकि पिछले वर्ष यह अधिशेष 6.83 लाख रुपए था। अधिशेष में वृद्धि मुख्य रूप से जुलाई, 1990 से विद्यार्थी शुल्क में संशोधन करने के कारण हुई है।

21.2 शुल्क का पूंजीकरण

वर्तमान प्रचलित पद्धति के अनुसार एसोसिएट और फैलो सदस्यों से प्राप्त 2.20 लाख रुपए के प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत कर दिया है। वर्ष के अंत में पूंजीकृत रिजर्व राशि 24.58 लाख रु. थी।

21.3 भवन रिजर्व

वर्तमान पद्धति के अनुसार भवन निर्माण के लिए सावधि जमाराशि पर अर्जित ब्याज के कारण 1.41 लाख रुपए की राशि को सीधे भवन रिजर्व निधि में विनियोजित कर दिया है। आई सी एस आई-एन आई आर सी के भवन के निर्माण और शाखाओं के लिए 15.48 लाख रुपए की आंशिक लागत की पूंजीगत अदायगी को भवन रिजर्व से सामान्य रिजर्व खाते में अंतरित कर दिया है। पिछले वर्ष के कुल 23.53 लाख रुपए की तुलना में भवन रिजर्व की कुल राशि 9.76 लाख रुपए है।

21.4 सामान्य रिजर्व

पिछले वर्ष जो सामान्य रिजर्व की कुल राशि 180.29 लाख रुपए थी, वह राशि बढ़कर 203.48 लाख रुपए हो गई है। इस राशि में रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय का 8.16 लाख रुपए का अधिशेष शामिल है।

22. लेखापरीक्षक :

कम्पनी सचिव अधिनियम की धारा 18(4) के अनुसरण में मैसर्स खन्ना अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउण्टेंटस, नई दिल्ली को 31 मार्च 1991 को समाप्त वर्ष के लेखा की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया। लेखा-विवरण के साथ-साथ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट यहां प्रकाशित की गई है। परिषद मैसर्स डी. के. सेनगुप्ता एंड कं., चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स द्वारा की गई सेवाओं की सराहना करती है; वे इंस्टीट्यूट के लेखापरीक्षक के रूप में 1968 में सबसे पहले इंस्टीट्यूट की शुरूआत की तारीख से लेकर 31 मार्च, 1990 तक इंस्टीट्यूट से सम्बद्ध रहे।

23. भूमि और भवन

23.1 आई सी एस आई —उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद का भवन

प्रसाद नगर इंस्टीट्यूशनल एरिया, करोल बाग, नई दिल्ली में आई सी एस आई—एन आई आर सी का नक्शा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मंजूर कर दिया है और सितम्बर 1989 में इसके निर्माण का ठेका दे दिया गया। यह परियोजना दिसम्बर 1992 तक पूरी होने की सम्भावना है।

23.2 जयपुर शाखा के लिए भवन

जयपुर शाखा जिसे 1579.35 वर्ग मीटर का प्लाट अलाट हुआ है, उसने जून 1990 में इसके प्रथम चरण के कार्यालय निर्माण का काम सितम्बर, 1991 तक उद्घाटन के लिए बन कर तैयार हो जाएगा; इस पर 8 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है।

23.3 पुणे शाखा कार्यालय परिसर

पुणे शाखा 1200 वर्गफुट का कार्यालय स्थल ले रहा है, जिस पर 7.80 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है।

23.4 गाजियाबाद शाखा कार्यालय परिसर

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने गाजियाबाद शाखा को स्ववित्तीय योजना के अधीन एक एम आई जी फ्लैट अलाट किया है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 119.94 वर्गमीटर है। इस पर 5.47 लाख रुपए लागत का अनुमान है और फ्लैट निर्माणाधीन है।

23.5 गोवा शाखा कार्यालय परिसर

गोवा शाखा भी 4.76 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 83.22 वर्गमीटर का कार्यालय स्थल ले रही है।

23.6 इंस्टीट्यूट द्वारा पूंजी अनुदान और ऋण

इंस्टीट्यूट की निधि सीमित है, इसमें से परिषद ने उन क्षेत्रीय परिषदें शाखाओं को 41.65 लाख रुपए का पूंजीगत अनुदान तथा 19.20 लाख रुपए का ऋण दिया जो 91.50 लाख रुपए की लागत से कार्यालय स्थल ले चुके हैं या लेने की प्रक्रिया में जुटे हैं। शाखाओं ने अपनी भवन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शेष साधनों को जुटाने के लिए खुद व्यवस्था की है है या कर रही है। इन शाखाओं द्वारा अपने कार्यालय स्थल प्राप्त करने के बारे में जो प्रयास किए हैं, परिषद उनकी सराहना करती है। इन शाखाओं को कार्यालय स्थलों की समुचित साज-सज्जा और देखरेख के लिए तथा अपने स्थानीय सदस्यों और विद्यार्थियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए आधुनिक कार्यालय उपस्कर प्राप्त करने के लिए भी अतिरिक्त साधन जुटाने होंगे।

24. कम्पनी सचिव हितकारी निधि

1976 में परिषद द्वारा सोसाइटी के रूप में पंजीकृत की गई कम्पनी सचिव हितकारी निधि के अब 31 मार्च 1991 को 1097 आजीवन सदस्य हैं। निधि के उपनियमों में किए गए संशोधन के अनुसार 1 सितम्बर 1989 से इसकी साधारण सदस्यता समाप्त कर दी गई है और आजीवन सदस्यता शुल्क में संशोधन कर इसे 500 रुपए कर दिया गया है। निधि में पूंजीगत रिजर्व, सामान्य रिजर्व और अधिशेष की राशि 31 मार्च 1991 को क्रमशः 4.53 लाख रुपए और 3.24 लाख रुपए है।

25. कर्मचारी कल्याण उपाय

आई सी एस आई एम्पलाइज क्लब को 1973 में कल्याण के एक उपाय के रूप में बनाया गया था, जिसे इसकी गतिविधियों के लिए परिषद से वित्तीय सहायता दी गई। इस वर्ष के दौरान कर्मचारियों को स्कूटर खरीदने, मकान निर्माण आदि के लिए 5.60 लाख रुपए की पेशगियां मंजूर की गई। कर्मचारियों को उनकी सहकारी बचत तथा ऋण सोसाइटी और सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में सहायता करने के अलावा परिषद ने आई सी एस आई कर्मचारी कल्याण निधि के संवर्धन में भी सहायता की, जिसके लिए पिछले पांच वर्षों में हुए वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलनों की अधिशेष राशि से 10,000 रुपए का वार्षिक अनुदान दिया।

26. आभार

परिषद केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों, विशेष रूप से कम्पनी कार्य विभाग के प्रति उनके द्वारा संरक्षण, व्यवसाय को मार्गदर्शन प्रदान करने और इंस्टीट्यूट की गतिविधियों में अपना समर्थन देने के लिए आभार प्रगट करती है। क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं ने अपने-अपने क्षेत्र में व्यवसाय के विकास में परिषद के प्रयासों में पर्याप्त सहायता दी है। राज्य सरकारों, वित्तीय और औद्योगिक तथा निवेशक संस्थानों, सामान्य रूप से निगम क्षेत्र और देश के विभिन्न चैम्बर्स आफ कामर्स ने लगातार इंस्टीट्यूट के सदस्यों की सेवाएं लेने में अपनी रुचि बढ़ाई है और उन्होंने निगम विधि, प्रबंध तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में इनकी विशेषज्ञता को मान्यता प्रदान की है। परिषदें सचिव और कार्यकारी निदेशक तथा उनके सचिवालय की अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति अपनी गहन सराहना प्रस्तुत करती है, जिन्होंने इस रिपोर्टाधीन वर्ष में परिषद के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए बड़ी निष्ठा से और कर्तव्य की भावना से काम किया।

कृते इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया की परिषद,

एन. जे. एन. बजीफदार, अध्यक्ष

नई दिल्ली

तारीख : 11 अगस्त 1991

परिशिष्ट "क"

स्थायी और अस्थायी समितियां
तथा सलाहकार ग्रुप

I स्थायी समितियां

1. अनुशासन समिति

एन. जे. एन. बजीफदार, प्रेजीडेंट	अध्यक्ष
वी. पी. गुप्ता (सरकारी नामिती)	सदस्य
टी. वी. पद्मनाभन	सदस्य

2. परीक्षा समिति

डी. के. प्रहलाद राव	अध्यक्ष
ओ. पी. दानी	सदस्य
ए. एन. नवारे	सदस्य

3. कार्यकारी समिति

एन. जे. एन. बजीफदार	अध्यक्ष
डी. के. प्रहलाद राव	सदस्य
बी.पी. गुप्ता	सदस्य
डी. सी. जैन	सदस्य
श्यामल सेन	सदस्य

II अस्थायी समितियां

4. समन्वय समिति (आई.सी.ए. आई. तथा आई. सी. डब्ल्यू. ए. आई. के साथ समन्वय के लिए)

एन. जे. एन. बजीफदार	अध्यक्ष
डी के. प्रहलाद राव	सदस्य
ओ. पी. वानी	सदस्य
बी. पी. धनुका	सदस्य
डी आर. मलिक	सदस्य

5 व्यावसायिक शिक्षण समिति

एन. जे. एन बजीफदार	अध्यक्ष
बिपिन एस. आचार्य	सदस्य
बी पी. धनुका	सदस्य
एस. डी. इसरानी	सदस्य
टी. बी. पद्मनाभन	सदस्य
वी. के पोद्दार	सदस्य
पी टी रंगामणि	सदस्य
हरीश के. बैद	सदस्य

6. प्रशिक्षण तथा शिक्षा सुविधा समिति

डी के. प्रहलाद राव	अध्यक्ष
बिपिन एस. आचार्य	सदस्य
ओ. पी. वानी	सदस्य
बी. पी. धनुका	सदस्य
ए. एन. नवारे	सदस्य
पी. टी. रंगामणि	सदस्य

7. विनियमन समिति

एन. जे. एन. बजीफदार	अध्यक्ष
डी. के. प्रहलाद राव	सदस्य
ओ. पी. वानी	सदस्य
टी. बी. पद्मनाभन	सदस्य
वी. के. पोद्दार	सदस्य
श्यामल सेन	सदस्य

8 पाठ्यक्रम समीक्षा समिति

श्यामल सेन	अध्यक्ष
एस. डी इसरानी	सदस्य
पी. टी रंगामणि	सदस्य
हरीश के बैद	सदस्य

9 आई सी एस आई उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद की भवन समिति

वी. के. पोद्दार	अध्यक्ष
परमजीत सिंह	उपाध्यक्ष
के सी बहेती	सदस्य
ओ.पी. वानी	सदस्य
एस. एस. ओबेरॉय	सदस्य
डी. सी जैन	सदस्य
एन. के. जैन	सदस्य
टी पी. मुथ्थारमन	सदस्य
संजय ओबेरॉय	सदस्य
सुनील गोयल	सदस्य
हरीश के बैद	सदस्य
वीरेन्द्र गांधी	सदस्य

III. परामर्शी बोर्ड/ग्रुप

10 कंपनी सचिवीय प्रेक्टिस मैनुएल के लिए सलाहकार ग्रुप

एन जे. एन बजीफदार	अध्यक्ष
आर. रामचन्द्रन	सदस्य
सी आर शाह	सदस्य

11 संपादकीय सलाहकार बोर्ड

टी एन पाण्डे	अध्यक्ष
बी. भवानी शंकर	सदस्य
गणेश गोस्वामी	सदस्य
डी. सी. जैन	सदस्य
टी बी. नारायणस्वामी	सदस्य
आर. के. पाण्डे	सदस्य
टी. पी. मुथ्थारमन (संपादक व प्रकाशक)	सदस्य
बी. बी. टण्डन	सदस्य

12. विशेषज्ञ सलाहकार ग्रुप

जस्टिस पी. एन. भगवती (अवकाश प्राप्त)	अध्यक्ष
आर. एन बंसल	सदस्य
प्रदीप भल्ला	सदस्य
पी पी. गोयल	सदस्य
एस. एस. कुमार	सदस्य
एस आर. लूथरा	सदस्य
टी. बी. नारायण स्वामी	सदस्य

परिशिष्ट 'ख'

क्षेत्रीय परिषदों की वित्तीय स्थिति और विद्यार्थियों तथा सदस्यों की संख्या

31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष की चार क्षेत्रीय परिषदों की रिपोर्टों के अनुसार तुलनात्मक वित्तीय स्थिति तथा विद्यार्थियों और सदस्यों की संख्या इस प्रकार है।

मद	क्षेत्रीय परिषदें			
	पूर्वी भारत क्षे.प.	उत्तरी भारत क्षे.प.	दक्षिणी भारत क्षे.प.	पश्चिमी भारत क्षे.प.
(क) वित्तीय स्थिति (रुपयों में)				
वर्ष 31-3-91 के अन्त में अधिशेष . .	72,755	46,531	92,205	2,29,089
31-3-91 को रिजर्व और अधिशेष . .	5,70,730	7,83,778	8,12,417	3,48,658
(ख) विद्यार्थियों और सदस्यों की संख्या :				
विद्यार्थी :				
31-3-1990 को . . .	9,746	14,860	14,270	12,954
31-3-1991 को . . .	9,903	14,250	13,962	12,696
सदस्य:				
31-3-1990 को . . .	1,076	1,727	1,818	2,636
31-3-1991 को . . .	1,134	1,878	1,998	2,813

परिशिष्ट 'ग'

भाग-I—सदस्यों सम्बन्धी आंकड़ों की तालिका

भाग I—सदस्यों में वृद्धि

	वर्ष	कुल संख्या			पिछले वर्ष की तुलना में वार्षिक वृद्धि	
		एसोसिएट सदस्य	फैलो सदस्य	कुल (1+2)	सकल	प्रतिशत
		1	2	3	4	5
क	1985-86 . .	4405(78.59)	1200(21 41)	5605(100)	353	6.72
	1986-87 . .	4648(78.25)	1292(21.75)	5940(100)	335	5.98
	1987-88 . .	4947(78.09)	1388(21.91)	6335(100)	395	6.65
	1988-89 . .	5179(77.66)	1490(22.34)	6669(100)	334	5.27
	1989-90 . .	5647(77.95)	1600(22.05)	7257(100)	588	8.81
	1990-91 . .	6095(77.91)	1728(22.09)	7823(100)	566	7.79
ख	1985-86 से 1990-91 तक सकल परिवर्तन . .	1690(76.20)	528(23.80)	2218(100)	—	—
ग	1985-86 से 1990-91 तक प्रतिशत परिवर्तन . .	38.36	44.00	39.57	—	—
घ	औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत	7.67	8.80	7.91	—	—
ङ	संयोजित वार्षिक दर प्रतिशत .	6.71	7.59	6.90	—	—

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में है।

परिशिष्ट 'ग'

सम्बन्धी तालिका

भाग I—सदस्यों में वृद्धि

	वर्ष	रजिस्टर में से निकाले गए			कुल सदस्यों में से निकाले सदस्यों का प्रतिशत	प्रेक्टिस प्रमाण पत्र धारकों की संख्या	कुल सदस्यों में से प्रेक्टिस प्रमाण पत्र धारकों का प्रतिशत
		भुगतान न करने के कारण	मृत्यु के कारण	कुल (6+7)			
	0	6	7	8	9	10	11
क	1985-86 . .	98(92.45)	8 (7.55)	106(100)	1.89	749	13.36
	1986-87 . .	68(82.92)	14(17.08)	82(100)	1.38	879	14.80
	1987-88 . .	76(86.36)	12(13.64)	88(100)	1.39	1065	16.81
	1988-89 . .	196(92.02)	17(7.98)	213(100)	3.19	1192	17.87
	1989-90 . .	100(91.74)	09(8.26)	109(100)	1.50	1225	16.88
	1990-91 . .	116(89.92)	13(10.08)	129(100)	1.64	1188	15.19

23
21.69
4.33
4.00

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए आंकड़े प्रतिशत में हैं।

परिशिष्ट 'ग'

भाग -I—प्रेक्टिस प्रमाणपत्र धारी सदस्यों में वृद्धि

	वर्ष	वर्ष के दौरान				31 मार्च को कुल प्रेक्टिस प्रमाणपत्र धारी सदस्यों की संख्या
		जारी	नवीकरण	रद्द	निवल वृद्धि	
	1	2	3	4	5	6
क	1985-86 . . .	145	604	68	77	749
	1986-87 . . .	185	694	55	130	879
	1987-88 . . .	247	818	61	186	1065
	1988-89 . . .	258	934	131	127	1192
	1989-90 . . .	122	1103	89	33	1225
	1990-91 . . .	135	1053	216	—37	11 88
ख	सकल परिवर्तन (1985-86 से 1990-91) .					439
ग	प्रतिशत परिवर्तन (1985-86 से 1990-91 तक)					58.61
घ	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)					11.72
ङ	संयोजित वार्षिक दर (प्रतिशत)					9.70

परिशिष्ट 'घ'

व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की सूची

	अवधि	स्थान	कार्यक्रम
1.	26–28 जुलाई, 1990	नई दिल्ली	सरकारी कम्पनी सचिवों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम
2.	3–4 अक्तूबर, 1990	हैदराबाद	"सरकारी कम्पनियों में विधिक और सचिवीय/ प्रबन्ध विषय पर आई सी एस आई—डी.पी.ई. का संयुक्त कार्यक्रम।
3	13–14 दिसम्बर, 1990	नई दिल्ली	"सरकारी कम्पनियों के विधिक तथा प्रबन्ध संबंधी पहलुओं में वर्तमान मुद्दे" विषय पर आई सी एस आई—डी पी ई का संयुक्त कार्यक्रम।

परिशिष्ट 'ङ'

विद्यार्थियों सम्बन्धी आंकड़े

भाग I

(1985-86 से 1990-91 तक)

	वर्ष	पंजीकृत विद्यार्थी	वर्तमान उत्तीर्ण विद्यार्थी		
		कुल	वर्तमान	इण्टरमीडिएट	फाइनल
क.	1985-86	118396	51670	1275	420
	1986-87	126348	51020	1681	510
	1987-88	134667	50519	1394	646
	1988-89	145051	51459	1234	824
	1989-90	157175	52335	1151	779
	1990-91	169337	50860	709	908
ख.	सकल परिवर्तन (1985-86 से 1990-91 तक)		50941		
ग.	प्रतिशत परिवर्तन (1985-86 से 1990-91 तक)		43 02		
घ.	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)		8.61		
ङ.	संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)		7.42		

परिशिष्ट 'च'

परीक्षाओं में बैठने तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े

I—जून 1990 का सत्र

परीक्षा	बैठे	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
प्रारम्भिक (प्रीलिमिनरी)	66	2	3.03
इण्टरमीडिएट*			
ग्रुप-1	2553	425	16.73
ग्रुप-2	3421	531	15 52
फाइनल (पुराना पाठ्यक्रम)**			
ग्रुप-1	541	179	33.08
ग्रुप-2	897	277	30.88
ग्रुप-3	1351	254	18.80
फाइनल (नया पाठ्यक्रम)***			
ग्रुप-1	381	116	30.44
ग्रुप-2	358	115	32.12
ग्रुप-3	607	186	30.64

*दोनों ग्रुपों में 1054 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में 44 ने परीक्षा उत्तीर्ण की (4.17 प्रतिशत)

**सभी तीनों ग्रुपों में 183 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से सभी तीनों ग्रुपों में 5 ने परीक्षा पास की (2.73 प्रतिशत)

***सभी तीनों ग्रुपों में 69 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से सभी तीनों ग्रुपों में 5 ने परीक्षा पास की (7 24 प्रतिशत)

II—दिसम्बर 1990 का सत्र

परीक्षा	बैठे	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशतत
प्रारम्भिक (प्रीलिमिनरी)	76	5	6 57
इण्टरमीडिएट**			
ग्रुप-1	2809	485	17 27
ग्रुप-2	3870	676	17.46
फाइनल (पुराना पाठ्यक्रम) ≠			
ग्रुप-1	406	140	34 48
ग्रुप-2	785	272	34.65
ग्रुप-3	1379	339	24.58
फाइनल (नया पाठ्यक्रम) ≠ ≠			
ग्रुप-1	500	236	47.20
ग्रुप-2	522	139	26 62
ग्रुप-3	696	151	21.69

**दोनो ग्रुपो मे 1296 परीक्षार्थी बैठे, जिनमे से दोनो ग्रुपो मे 92 ने परीक्षा पास की (7.09 प्रतिशत)

≠सभी तीनों ग्रुपो मे 178 परीक्षार्थी बैठे जिनमे से 8 ने परीक्षा पास की (4.49 प्रतिशत)

≠≠सभी तीनो ग्रुपो मे 144 परीक्षार्थी बैठे, जिनमे से 24 ने परीक्षा पास की (16.66 प्रतिशत)

परिशिष्ट 'छ'

विद्यार्थियो के प्रशिक्षण सम्बन्धी आंकड़े
(1986-87 से 1990-91 तक)

क्रम स		31 मार्च का मान्यता प्राप्त कम्पनियो की संख्या					31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान प्रायोजि विद्यार्थियों की संख्या				
		1987	1988	1989	1990	1991	1987	1988	1989	1990	1991
1	प्रबन्ध प्रशिक्षण	120	262	371	460	548	16	74	170	125	12
2.	प्रैक्टिस प्रशिक्षण	580	661	762	850	957	326	432	542	519	664
3.	प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिव	26	32	67	86	101	25	40	80	82	68

खन्ना एड अन्नाधानम
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

706, आकाशदीप, 26-ए, बाराखम्बा रोड,
पो. बाक्स न. 648,
नई दिल्ली-110001

लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

हमने इंस्टीट्यूट आफ कपनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया के 31 मार्च 1991 के तुलन-पत्र तथा इसके साथ सलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखे का परीक्षण भी किया है और हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है

1. हमे वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए, जो हमे अपेक्षित जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त करने आवश्यक थे।

2. रिपोर्ट का सदर्भाधीन तुलन-पत्र और आय एव व्यय लेखे रखी गई लेखा पुस्तको और रिकार्डों से मेल खाते है।

3. हमारी राय मे और जहां तक हमारी जानकारी है तथा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणो के अनुसार निम्नलिखित के बारे मे ये लेखे सही और पर्याप्त स्पष्ट स्थिति प्रगट करते हैं।.

(क) इंस्टीट्यूट के मामलो से सबधित 31 मार्च, 1991 को समाप्त अवधि के तुलन-पत्र के बारे मे स्थिति।

(ख) उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय व व्यय लेखे मे अधिशेष से संबधित स्थिति।

कृते खन्ना एड अन्नाधानम,
चार्टर्ड एकाउण्टेट्स

ह.
(वी.जे. सिह)
पार्टनर

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 19 अगस्त 1991

दि इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया

31 मार्च, 1991 का तुलन पत्र

	अनुसूची सं.		31 मार्च, 91 (रु. 000)		31 मार्च, 90 (रु. 000)
निधि का स्रोत					
पूंजी रिजर्व	1		2,458		2,238
भवन रिजर्व	2		976		2,353
सामान्य रिजर्व	3		20,348		18,029
			23,782		22,620
निधि का प्रयोग					
स्थायी परिसम्पत्तियां	4				
सकल ब्लाक		17,815		15,328	
घटाएं : मूल्यह्रास		4,328		3,691	
निवल ब्लाक			13,487		11,637
निवेश	5		10,072		9,472
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और पेशगियां					
चालू परिसम्पत्तियां	6	4,969		5,735	
ऋण और पेशगियां	7	8,181		8,223	
		13,150		13,958	
		13,150		13,958	
घटाएं : चालू देयताएं और प्रावधान	8	12,927		12,447	
निवल चालू परिसम्पत्तियां			223		1,511
			23,782		22,620
लेखांकन नीतियां	15				

टिप्पणियां : 1. पिछले वर्ष तक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंधी बंधपत्रों के ब्याज को (परिपक्वता अवधि के) कुल वर्षों से कुल ब्याज की राशि को भाग कर के समीकृत प्रणाली के आधार पर आय के रूप में लिया जाता था। इस चालू वर्ष से उतने ही ब्याज को आय के रूप में लिया गया है, जितना इस वर्ष के अन्त मे वस्तुतः बनता है। इससे इस वर्ष की आय में 97 हजार रुपए की वृद्धि हो गई है। पिछले वर्षों में आय के रूप में लिए गए अधिक ब्याज की 9,28,000 रु. की राशि को ब्याज प्रोद्भूत लेखा में जमा करके सामान्य रिजर्व में डाल दी गई है और इसे आय तथा व्यय लेखा के जरिए समायोजित नहीं किया गया है।

2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 सी) (iv) के अन्तर्गत छूट, जो सरकार के पास निर्णय के लिए विचाराधीन है, के लागू होने को ध्यान मे रखते हुए कराधान के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

3. पिछले वर्ष के आकड़ों को चालू वर्ष के आकड़ों से तुलना करने के लिए पुनःवर्गीकरण किया गया है।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कुते खन्ना एंड अन्नाधनम

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

ह.
(बी. जे. सिंह)
पार्टनर

ह.
टी. पी. सुब्बारमन
सचिव तथा कार्यकारी निदेशक

ह.
वी. के. प्रह्लाद राव
उपाध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19 अगस्त 1991

ह.
(एन. जे. एन. नजाकरार)
अध्यक्ष

दि इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया

31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष की आय तथा व्यय लेखा

	अनुसूची	31 मार्च 1991 (रु. 000)	31 मार्च, 1990 (रु 000)
आय			
शुल्क	9	17,010	15 964
जर्नल बुलेटिन अभिदान और विज्ञापन		2,234	2,143
प्रकाशनों की बिक्री		1,241	1,122
निवेश से ब्याज		1,582	1,335
सम्मेलन और कार्यक्रमों की अधिशेष राशि	10	8	115
अन्य आय	11	63	34
		22,738	20,613
व्यय			
क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं को अनुदान		1,263	1,108
क्षेत्रीय कार्यालय		259	168
स्थापना	12	8,767	7,951
डाक शिक्षण		3,121	3,105
प्रकाशन और कार्यालय स्टेशनरी		1,019	922
जर्नल बुलेटिन		2,039	1,709
यात्रा और सवारी		852	674
परीक्षा व्यय		1,390	1,251
संचार व्यय	13	1,244	1,122
विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और पुरस्कार		37	38
मूल्यह्रास		649	672
बट्टे खाते/वसूल न होने वाले ऋणों के लिए प्रावधान		14	4
अन्य व्यय	14	1,268	1,206
सामान्य रिजर्व में ले जाई गई व्यय से अधिक हुई आय		816	683
		22,738	206,13

इसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

खन्ना एंड अन्नाधनम

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

ह.	ह.	ह.	ह.
(बी. जे सिंह)	(टी. पी. सुब्बारमन)	(बी. के. प्रह्लाद राव)	(एन. जे. एन. वजीफदार)
पार्टनर	सचिव और कार्यकारी निदेशक	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

तारीख, 19 अगस्त 1991

अनुसूची—1

पूंजीगत रिजर्व

	31 मार्च, 1991 (रु 000)		31 मार्च 1990 (रु 000)	
पूंजी रिजर्व				
पिछले लेखे के अनुसार		2,238		2,037
जोडे प्रवेश शुल्क				
--एसोसिएट सदस्य	192		176	
--फेलो सदस्य	28	220	25	201
		2,458		2,238

भवन रिजर्व

अनुसूची-2

	31 मार्च, 1991 (रु. 000)		31 मार्च 1990 (रु. 000)	
पिछले लेखे के अनुसार			2153	2,496
जोडे : प्राप्त धनराशियां--	--		75	
--क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओ से योगदान	747		899	
-सावधि जमा राशि पर ब्याज	141		240	
--क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं की भूमि/भवनों की लागत में कमी	--	888	9	1,223
		3,241		3,719
घटाए : सामान्य रिजर्व में अंतरण				
--क्षेत्रीय परिषदो से योगदान*	747		899	
--इंस्टीट्यूट द्वारा वहन की गई निर्माण लागत	1,518		449	
	2,265		1,348	
2 क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओ की भूमि/भवनों की लागत में कमी	--	2,265	18	1,366
		976		2,353

*इसमे पिछले वर्ष प्राप्त 7,38,000 रुपए की राशि शामिल है, और जिसे चालू देयताओं के अन्तर्गत दिखाया गया है।

अनुसूची—3

सामान्य रिजर्व

	31 मार्च, 1991 (रु. 000)		31 मार्च, 1990 (रु. 000)	
पिछले लेखे के अनुसार		18,029		15,636
जोड़ :				
भवन रिजर्व से अंतरण	2,265		1,348	
निम्नलिखित के लिए अधिक प्रावधान—				
(क) पुनर्लिखित अनुदान	158	--	--	—
(ख) पुनर्लिखित सम्पत्ति कर	8		362	
आय तथा व्यय लेखे के अनुसार अधिशेष	816	3247	683	2393
		21,276		18,029
घटाएं				
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बंध पत्रों पर प्रोद्भूत ब्याज के आधार में परिवर्तन के कारण समायोजन-तुलनपत्र की टिप्पणी 1 देखिए		928		—
		20,348		18,029

अनुसूची—4

स्थायी परिसम्पत्तियां

(रु '000)

मदें	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1-4-90 को लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री समायोजन	31-3-91 को कुल लागत	1-4-90 को स्थिति	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन	कुल मूल्य-ह्रास	31-3-91 को स्थिति	31-3-90 को स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—भूमि	2,424	—	—	2,424	—	—	—	—	2,424	2,424
—भवन	8,639	—	—	8,639	1,342	365	—	1,707	6,932	7 297
—साइकिल/स्कूटर शेड	20	—	—	20	19	†	—	19	1	1
—भवन (निर्माणाधीन)	221	2,265	—	2,486	—	—	—	—	2 486	221
—फर्नीचर और जुड़नार	1,151	25	1	1,175	622	55	—	677	498	529
—वातानुकूलक और कूलर	892	44	—	936	555	57	—	612	324	337
—कम्प्यूटर	84	—	—	84	12	11	—	23	61	72
—बिजली के उपस्कर	168	18	—	186	72	17	—	89	97	96
—कार्यालय उपस्कर	796	57	12	841	498	53	12	539	302	298
—अन्य उपस्कर	19	1	—	20	10	2	—	12	8	9
—पुस्तकालय में पुस्तकें	795	91	—	886	536	70	—	606	280	259
—वाहन	119	–	1	118	25	19	†	44	74	94
इस वर्ष का कुल जोड़	15,328	2,501	14	17,815	3,691	649	12	4,328	13,487	11 637
पिछले वर्ष का कुल जोड़	13,526	1,926	124	15,328	3,068	672	49	3,691	11,637	10,458

† एक हजार से कम

टिप्पणियां

1 पखों (बिजली के उपस्कर भी शामिल हैं) और विभिन्न प्रकार की घड़ियों (कार्यालय उपस्कर भी शामिल है) की मूल्यह्रास दर 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दी गई है।

2 इस वर्ष के दौरान खरीदी गई सभी वस्तुओं पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है।

3 निर्माणाधीन भवन में निमित्त फ्लैटों की खरीद के लिए, दी गई अग्रिम राशियां शामिल हैं।

अनुसूची – 5

निवेश

	31 मार्च 1991	31 मार्च 1990
	(रु 000)	(रु 000)
निवेश		
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बंधपत्र	5,200	5,200
बैंक के पास सावधि जमा राशि	4,800	4,200
पुरस्कार प्रदान करने के लिए निवेश (दूसरी तरफ)		
सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के बंधपत्र	40	40
बैंकों के पास सावधि जमा राशि	32	32
	10,072	9,472

अनुसूची – 6

चालू परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 1991 (रु 000)		31 मार्च, 1990 (रु 000)	
भण्डार				
(इनका मूल्य प्रत्यक्ष लागत की निम्नतम दर या प्रबंधकों द्वारा प्रमाणित बाजार मूल्य के अनुसार आंका गया है)				
—प्रकाशन	194		539	
—कागज	463		630	
—अध्ययन सामग्री	1,932		2,129	
—अन्य	241		137	
	3,130		3,435	
विविध देनदार				
(क) अरक्षित राशि, जिसकी वसूल होने की संभावना है, और जो 6 महीने से अधिक समय से बकाया है	9		25	
अन्य	128		170	
	137		195	
(ख) अरक्षित राशि, जिसकी वसूली संदिग्ध है	20		6	
घटाए वसूल न हो सकने और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व	20		6	
	137		195	
नकदी और बैंक शेष				
हस्तगत नकदी, डाक टिकटें और ड्राफ्ट	94		82	
सेविंग बैंक खातों में अनुसूचित बैंकों के पास बैंक शेष	1,608	1,702	2,023	2,105
	4,989		5,735	

अनुसूची - 7

ऋण और पेशगियां (प्रतिभूत - परन्तु वसूली योग्य)

	31 मार्च 1991 (रु. 000)	31 मार्च, 1990 (रु. 000)
ऋण		
क्षेत्रीय परिषदें/शाखाएं	1,410	1,754
पेशगियां		
निदेशों द्वारा ब्याज	5,064	4,699
कर्मचारी	1,185	950
क्षेत्रीय परिषदें/शाखाएं	72	--
पूर्व प्रदत्त व्यय	177	79
विविध जमा राशियां	161	137
अन्य पेशगियां	112	604
	8,181	8,223

अनुसूची - 8

चालू देयताएं और प्रावधान

	31 मार्च, 1991 (रु. 000)	31 मार्च, 1990 (रु. 000)
चालू देयताएं		
विविध लेनदार	234	523
विद्यार्थियों का असमाप्त रजिस्ट्रेशन शुल्क	5,873	5,200
क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं को देय अनुदान	714	509
शुल्क और अन्य राशियां, जो अग्रिम प्राप्त हुई	644	86
प्राप्त धन राशियों का पुनः आवंटन	306	321
देय व्यय	1,424	640
चिकित्सा व्यय योजना	23	15
पुरस्कार प्रदान करने के लिए प्राप्त धन राशियां (दूसरी तरफ)	72	72
कम्पनी सेक्रेटरी और आई सी एस आई कर्मचारी हितकारी निधि	39	62
उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद के भवन के लिए अंशदान	--	738
	9,329	9,366
प्रावधान		
ग्रेच्युटी	1,667	1,526
पेंशन	1,931	1,555
	3,598	3,081
	12,927	12,447

अनुसूची - 9

सदस्यों और विद्यार्थियों से शुल्क

	31 मार्च 1991 (रु 000)	31 मार्च, 1990 (रु 000)
सदस्य		
वार्षिक शुल्क	2,133	2,006
अन्य शुल्क	17	24
	2,150	2,030
विद्यार्थी		
परीक्षा शुल्क	3,624	3,373
डाक शिक्षण शुल्क	9,136	8,263
रजिस्ट्रेशन शुल्क	2,682	2,682
लाइसेंस शुल्क	90	53
छूट शुल्क	972	609
अन्य शुल्क	39	29
	16,543	15,009
कुल शुल्क	18,693	17,036
घटाएं : जर्नल/बुलेटिन के लिए नियत प्रतिदान	1,083	1,172
	17,610	15,864

अनुसूची- 10

सम्मेलन और कार्यक्रमो से आय

		31 मार्च, 1991			31 मार्च, 1990	
		(रु 000)			(रु. 000)	
प्राप्तिया						
प्रतिनिधि शुल्क		--			775	
विज्ञापन		--			89	
पुनर्लिखित अधिक प्रावधान		10			-	
अन्य		--			39	
			10			953
घटाएं व्यय				818		
प्रत्यक्ष	--	2	--	--	818	
अन्य	2					
घटाएं [illegible] को आबंटन		--	2		20	838
			8			115

अनुसूची- 11

अन्य आय

	31 मार्च, 1991	31 मार्च, 1990
	(रु 000)	(रु 000)
कर्मचारीयो पेशगियो से ब्याज	23	14
स्थायी परिसम्पत्तियो का बिक्री से प्राप्त अधिशेष	4	2
विविध आय	36	18
	63	34

अनुसूची- 12

स्थापना व्यय

वेतन और भत्ते	7,166	6,531
कर्मचारी कल्याण	524	470
भविष्य निधि मे अंशदान	361	334
ग्रेच्युटी	295	321
पेंशन	421	295
	8,767	7,951

नोट सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी का भुगतान 1,53,000 रुपए

अनुसूची-13

संचार व्यय

	31 मार्च, 1991 (रु. 000)	31 मार्च, 1990 (रु. 000)
डाक टिकट और तार	939	812
टेलीफोन, टेलेक्स और इंटरकाम	305	310
	1,244	1,122

अनुसूची-14

अन्य व्यय

	31 मार्च, 1991 (रु. 000)	31 मार्च, 1990 (रु. 000)
विज्ञापन और प्रचार	87	81
बैंक प्रभार	25	23
बिजली और पानी	209	185
बीमा	14	15
किराया, दरें और कर	128	126
मरम्मत और अनुरक्षण	174	154
कानूनी व्यय	33	83
मोटरकार व्यय	60	33
कार्यालय व्यय	107	107
कम्प्यूटरीकरण	159	148
लेखापरीक्षकों को भुगतान		
--सांविधिक लेखा परीक्षा	10	10
--आंतरिक लेखा परीक्षा	--	18
व्यावसायिक प्रशिक्षण और विकास	29	63
बैठकें	63	43
पैकिंग और भाड़ा	160	118
	1,268	1,206

अनुसूची सं. 15

लेखांकन नीतियां

1. फैलो और एसोसिएट सदस्यों से प्रवेश शुल्क प्राप्त होने पर उसका पंजीकरण कर दिया गया है।

2. क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं द्वारा भूमि तथा भवन की लागत के बारे में सीधे प्राप्त धन राशि और अंशदानों को भवन रिजर्व खाते में जमा किया गया है। भूमि खरीदने/भवन निर्माण पर वस्तुतः खर्च हुए निधियों को सामान्य रिजर्व में अंतरित कर दिया गया है।

3. समग्र निधि निवेश के भाग के रूप में भवन निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज का हिसाब वर्ष के दौरान उपलब्ध औसत निधि के आधार पर लगाया गया है और भवन रिजर्व के खाते में जमा किया गया है।

4. रजिस्ट्रेशन शुल्क को छोड़कर विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क का हिसाब प्राप्ति-आधार पर किया गया है। रजिस्ट्रेशन शुल्क को पांच वर्ष की अवधि में बराबर-बराबर आय के रूप में लिया गया है।

5. कागज, प्रकाशनों और अध्ययन-सामग्री के स्टाक के मूल्य को लागत के आधार पर लिया गया है।

6. निवेशों को भी लागत आधार पर लिया गया है।

7. स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्य ह्रास को परिषद द्वारा अनुमोदित दरों पर ह्रासित-मूल्य आधार पर लगाया गया है। वर्ष के दौरान हुई वृद्धि पर मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए लगाया गया है।

8. पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान जीवनांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। संचित निधि और स्टाफ ग्रेच्युटी अधिशेष निधि का निवेश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बंधपत्रों में किया गया है तथा इन दोनों की अलग-अलग पहचान नहीं रखी गई है।

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA

(Constituted under the Company Secretaries Act 1980)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 1991

F. No. 104/19/Acts—ELEVENTH ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1991.

1. INTRODUCTION

In pursuance of the requirement of Sub-section (5) of Section 18 of the Company Secretaries Act, 1980 (the Act), the Council of the Institute of Company Secretaries of India is pleased to publish the eleventh annual report and the audited statements of account along with the auditors' report thereon, on the working of the Institute for the year ended 31 March, 1991. Some of the significant activities of the Institute, upto the date of the report, have also been outlined herein.

2. DEVELOPMENTS

2.1 Last year, the Manipur Industrial Development Corporatoin Limited and the Assam Industrial Development Corporation Limited had decided to introduce secretarial audit for their assisted companies. During the year, the Punjab State Industiral Development Corporation Limited has recommended to its assisted companies to utilise the services of company secretaries for secretarial assignments while the State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra has agreed to introduce secretarial audit on a selective basis. The Maharashtra State Financial Corporation has suggested Secretarial audit in companies assisted by it where the paid up capital is less than Rs. 25 lacs. Recently, the Gujarat Industrial Investment Corporation Limited has also approved introduction of secretarial audit in companies assisted by it Similar representations in this behalf have also been made to various other state level Industrial Development and Investment Institutions.

2.2 As a follow up of our efforts to bring about professional discipline in small companies and at the same time to relieve such companies from the consequences of unintended non compliance of the provisions of the Companies Act due to ignorance or lack of professional expertise or support, the Institute has submitted a detailed note to the Department of Company Affairs suggesting introduction of secretarial compliance report by a secretary in whole-time practice for smaller companies through an amendment to the Companies Act, 1956 The introduction of secretarial compliance report will go a long way in carving out an exclusive area of practice for company secretaries. Further encouraged by the Department's receptivity and willingness to consider all suggestions to professionalise corporate management, the Institute has submitted a representation to the Government for encouraging the role of professionals in corporate management. The Government has since decided that all returns required to be filed with the Registrar of Companies, if certified as correct by company secretaries or other specified profession in practice may be taken on record expeditiously say within ten days.

2.3 During the year under report, representations have been made to Sri Lanka, Mauritius, United Kingdom, Singapore and other countries for recognising ICSI membership for appointment of company secretaries under their statutes.

2.4 It is gratifying to note that Industrial Development Bank of India and the Board for Industrial and Financial Reconstruction have agreed to consider the Institute's request to nominate senior members of the Institute on the Boards of companies assisted by them.

3. COUNCIL

3.1 President and Vice-President

At the meeting of the Council held on 1 January, 1991. D. C. Jain relinquished the office of President N. J. N. Vazifdar and D. K. Prahlada Rao were elected as President and Vice-President respectively for a period of one year from 1 January, 1991. The Council places on record its appreciation of the valuable contribution made by D.C. Jain as President of the Institute.

3.2 Composition

The Central Government appointed Sudha Pillai, Joint Secretary, Department of Company Affairs, as its nominee on the Council in place of V. K. Majotra with effect from 4 June, 1991. All other Council Members continued to hold office upto the date of this Report. The Council places on record its appreciation of the services rendered by V. K. Majotra as a Council Member.

3.3 Meetings

The Council held six meetings during the year.

3.4 Committees, etc.

The Council constituted three Standing Committees and six other Committees. The Council also constitued various specialised Groups and Advisory Boards to assist the Council. The composition of these Committees, Groups and Advisory Boards is given in Appendix 'A' to the Report.

4. REGIONAL COUNCILS AND CHAPTERS

4.1 Regional Councils

The four Regional Councils constituted by the Council for assisting it in its efforts had been smoothly performing their functions during the year. They had been conducting conferences, seminars and meetings, providing services such as oral coaching and Secretarial Modular Training Programmes for students, library facilities, career counselling, publication of regular news bulletins and providing assistance to Chapters in their jurisdiction. The activities of Regional Councils and Chapters are regularly reported in their newsletters and in 'Chartered Secretary'. The reserves and surplus of each Regional Council, along with the number of members and students in each region as on 31 March, 1991, are given in Appendix 'B' to the Report.

4.2 Chapters

The thirty-four Chapters, duly constituted under the jurisdiction of the four Regional Councils, conducted activities locally during the year for the education and training of students and the professional development of members.

4.3 Presentation of Best Chapter Awards

At the inaugural session of the 19th National Convention of Company Secretaries held at Hotel Ashok, New Delhi on 11 April, 1991, Suresh Mathur, Secretary, Departments of Industrial Development and Company Affairs, presented the following Awards for 1989-90:

National Best Chapter	Jaipur (North)
Regional Best Chapters	
(a) Eastern Region	Guwahati
(b) Northern Region	Jaipur
(c) Southern Region	Thiruvananthapuram
(d) Western Region	Pune

5. SECRETARIAT

With a view to enhancing the efficiency and effectiveness of the secretariat in rendering improved services to students and members, the organisation structure was modified. A beginning has also been made towards computerising the activities of the Institute.

6. MEMBERS

6.1 Membership

During the year, 640 Associate Members were admitted and 139 Associates were admitted as Fellow Members bringing the total number of members on 31 March, 1991 to 7,823, comprising of 6,095 Associates and 1,728 Fellows. The number of members residing abroad as on 31 March, 1991 was 173. During the year under review, the names of 129 members (21 Fellows and 108 Associates) were removed from the Register due to non-payment of annual fees, death or resignation.

6.2 Growth

A Table showing the statistics relating to the number of members and those holding certificates of practice, is given in Appendix 'C' to the Report.

6.3 List of Members

In pursuance of Section 19(3) of the Act read with Regulation 161 of the Company Secretaries Regulations, 1982 (the Regulations), a complete list of members as on 1 April, 1991, has been published for supply to members, on request.

6.4 Certificate of Practice

Certificates of practice were issued to 135 members during the year. At the end of the year, 1,188 members were holding certificate of practice as against 1,225 as on 31 March, 1990. This marginal decrease was mainly due to non-renewal of certificates under Regulation 168, of such members who were engaged in any other business/occupation. The certificates of 216 members stood cancelled due to non-payment of annual fees, death, surrender or other ineligibilities.

The Council had been considering for quite some time, the need to give an independent identity and status to the profession and a thrust to the concept of company secretary in whole-time practice—a concept which has even been accorded statutory recognition in Secton 2(45A) of the Companies Act, 1956. This need arose from the present status of the profession and the development of the practising side of the profession simultaneously with the increasing recognitions that are being conferred on it, the growing acceptance of secretarial audit and the realisation that the profession could be properly regulated and its growth facilitated if an independent status is provided to company secretaries in practice. The Council has accordingly decided to prohibit issue of certificate of practice to members in employment effective from 1 June, 1991. The certificate of practice already issued to members in employment will not be renewed after 31 March, 1992, if such members continue to be in employment.

7 PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND CONTINUING EDUCATION PROGRAMMES

7.1 As a part of the efforts of the Institute for professional development of its members three programmes were organised during the year as per the details given in Appendix 'D' to the Report. The Institute also associated itself with the PHD Chambers of Commerce and Industry in six training programmes organised by it for potential entrepreneurs in the SSI sector.

7.2 A thirty-minute video film on the profile of a company secretary is under production to highlight the role relevance and utility of the profession for the benefit of potential employer/user organisations including small scale entrepreneurs. The video film estimated to cost Rs. 1 lac is sponsored by Modi Rubber Ltd. and Modi Xerox Ltd., New Delhi.

8. PUBLICATIONS

8.1 'Chartered Secretary'

The Institute's prestigious monthly Journal, 'Chartered Secretary', continued to earn acclaim for its presentation, quality and promptness in providing relevant, timely and useful information including government notifications, legal decisions and articles. In May 1990 a special issue on the Union Budget was brought out as has been done in the past. 'Chartered Secretary' has a readership of over 50,000 and is an effective medium of communication with members and company executives, helping them update their professional knowledge. As in the past, authors of articles adjudged as the best in legal management and accountancy disciplines from articles published in the 20th volume of 'Chartered Secretary' (1990) were presented cash awards by Suresh Mathur, Secretary, Departments of Industrial Development and Company Affairs, in the inaugural session of the 19th National Convention of Company Secretaries held on 11 April, 1991.

8.2. Guidance Notes

The growth of the practising side of the profession has heightened the importance of adhering to the highest standards of professional conduct and ethics. To enable company secretaries in practice, who are, in effect, the ambassadors of the profession, to discharge their professional responsibilities efficiently, the manuscripts of guidance notes on the following have been finalised for publication :

(a) Secretarial Audit

(b) Certificattion of Forms relating to Charges

(c) Pre-certification of other Forms required to be filed with the Registrar of Companies.

8.3 Manual of Company Secretarial Practice

The work on the loose-leaf Company Secretaries' Handbook intended to cover both substantive law and practical notes and to serve as an authentic reference manual on various aspects of Company Law and related provisions of Industries (Development and Regulation) Act; Capital Issues (Control) Act; Securities Contracts (Regulation) Act; Foreign Exchange Regulation Act; Income-tax Act and MRTP Act is progressing.

8.4 Investors' Guidance Series

With a view to educating the lay investors on the legal and procedural aspects of transfer of shares and the rights of fixed deposit holders, the following two booklets were prepared by the Directorate of Studies, Research and Publications of the Institute and published by the Delhi Stock Exchange during the year under review:

(a) Law and procedure for transfer of shares listed on a recognised stock exchange; and

(b) Law and procedure for compulsory repayment of company fixed deposits.

The third in this series "Investment decision making by a lay investor" is also now ready for publication.

8.5 Other Publications

The Research Study on Annual Reports of companies has been published. Research is also being undertaken on the topics of "Auditors' Qualifications and Replies thereto in the Director's Report" and on "Secretary's participation on the Board."

9. EXPERT ADVISORY GROUP

The Expert Advisory Group constituted for rendering expert advisory services to members on intricate problems in Company Law and Secretarial Practice, under the Chairmanship of Justice P. N. Bhagwati, former Chief Justice of India, became functional during the year under report.

10 EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

10.1 The Institute continues to publicise the significant role played by its members through interaction with Chambers of Commerce, Bureaux of Public Enterprises and other bodies. The Institute is also continuing its efforts with the Department of Banking. At our instance, the Comptroller and Auditor General of India has since decided to give monetary incentives to employees working in the offices of C & AG qualifying in company secretaryship examinations. The Institute, its Regional Councils and Chapters continue to provide employment services to companies under the Employment Service Scheme furnishing lists of members for employment. During the year under report 101 companies availed of the facility of obtaining panel of suitable candidates from the Institute from the Employment Service Scheme maintained by it. Such companies have been encouraged to advertise in 'Chartered Secretary' for obtaining a wider panel of candidates.

10.2 Pursuant to the amendment in 1988 to Section 383A of the Companies Act, 1956, removing the monetary limits from the section and empowering Government to prescribe the monetary limits there have been continuous pressures on the government from Trade and Industry to

increase substantially the monetary limit. Taking into account that the Institute was constituted by an Act of Parliament for professionalisation of corporate management and that the number of companies with a paid up share capital of Rs. 50 lacs and above is only 4,200 as on 31 March, 1991 according to the information given by the Government of India, Department of Company Affairs, as compared to over 8,000 members on the Register of the Institute as on 1 July, 1991, the Council has given a suitable note to the Government for incorporating the monetary ceiling in the Act itself and to utilise the services of company secretaries in practice for small companies not required to employ a whole-time secretary.

11. RECOGNITIONS TO THE PROFESSION

The following recognitions have been secured for company secretaries during the year under report :—

(a) Pre-certification of all documents to be filed by companies with the Registrar of Companies under the Companies Act, 1956, for taking on record by the Registrar within a reasonable period of about 10 days.

(b) Certification that the provisions of the Capital Issues (Exemption of Capitalisation) Order, 1991, have been complied with by the company claiming exemption for bonus issues upto Rs. 1 crore under Section 3 of the Capital Issues (Control) Act, 1947.

(c) Assignments for certification of documents relating to charges, by Nationalised Banks including Vijaya Bank, Bank of India, Canara Bank, United Bank of India and Indian Bank.

(d) Certification of powers of company and its directors to enter into agreements, borrowing limits, list of members, exemption to proposed borrowing under the Capital Issues (Exemption) Order, 1969, resolutions, etc. by the Pondicherry Industrial Promotion, Development and Investment Corporation Ltd.

12. NINETEENTH NATIONAL CONVENTION

The 19th National Convention of Company Secretaries on the theme "Strategies for Industrial Growth" was organised at Hotel Ashok, New Delhi from 11 to 13 April, 1991. The Convention, which was attended by 600 delegates from all parts of the country and invitees from Pakistan, was inaugurated by Suresh Mathur, Secretary, Departments of Industrial Development & Company Affairs, Government of India, Hari Shankar Singhania, a noted industrialist, delivered the key-note address. The technical sessions were chaired by eminent personalities including N. Mohanty, Secretary, Department of Personnel, Pension & Grievances; Bansi Dhar, Chairman, DCM-Shriram Industrial Enterprises Limited and G.V.G. Krishnamurty, Member-Secretary, Law Commission. S. P. Upasani, Chairman, Company Law Board, delivered the valedictory address.

13. RE-CODIFICATION OF THE COMPANIES ACT, 1956

A workshop on re-codification of the Companies Act, 1956, was organised by the Institute on 14 April, 1991, when senior officers from the Department, members of the Institute and other professional bodies, Securities & Exchange Board of India, Delhi Stock Exchange, Chambers of Commerce and Trade Associations deliberated upon a number of suggestions dealing with three major issues :—

(a) Registration of companies and matters incidental thereto;

(b) Management and administration of companies; and

(c) Investors' protection and matters incidental thereto.

A report on the workshop has been submitted to the Department of Company Affairs for its consideration and further necessary action.

14. PERSPECTIVE PLAN

During the year the Perspective Planning Group submitted its report containing a well-documented Plan for the Institute for the next decade. The salient features of the perspective plan were circulated among the Chairman of the Regional Councils and Chapters to elicit their views and were also circulated to the delegates at the 19th National Convention so that they could offer suggestions thereon at the open session of the Convention. The gist of the perspective plan was also published in the May 1991 issue of 'Chartered Secretary' affording members at large an opportunity to give their comments and suggestions. The Council has accepted the Report in principle and the Secretariat has geared itself up for implementing the perspective plan in the first phase and is working out the modalities.

15. POST MEMBERSHIP QUALIFICATION COURSE

The draft regulations as approved by the Council for introduction of post membership qualification examination have been sent to the Government in December 1990 for approval as required under the Act and the approval is awaited.

16. AMENDMENTS TO THE ACT AND REGULATIONS

The statutory designation "Company Secretary" given in Section 7 of the Act for members of the Institute, is misconstrued generally as an employee-secretary of a company by corporate management. Taking into account the experience gained by the Council after operating the Act for over a decade and the difficulties encountered in processing the disciplinary cases under the existing Regulations, the Council has appointed a Regulations Committee to suggest suitable amendments to the Act and Regulations.

17. STUDENTS SERVICES

17.1 Registration

During the year under report, 12,161 students were registered as compared to 12,124 students registered during the previous year. The number of students whose registration was current at the end of the year was 50,860 including those whose registration was extended under Regulation 21(3). Appendix 'E' to the Report gives the statistics of the number of registered students as well as those who have completed the Intermediate and Final examinations.

17.2 Updating of Study Material

The revision of study material on all the major subjects was completed during the year. Three supplements, one each on Economic and other Legislations; Corporate Tax Management and Planning; and Indirect Taxation—Law and Procedures, were published. Test Papers for the subjects under revision were also revised and corresponding suggested answers brought out.

17.3 Study Material in Hindi

Study material relating to Company Law and Practice-II of the Intermediate Course has been translated in Hindi.

17.4 Guideline Answers and Topic-wise Questions under new Syllabus

Guideline Answers for December 1990 and June 1991 examinations, were brought out group-wise for the benefit of students. Topic-wise questions on all subjects of Intermediate and Final examinations were also brought out during the year under review.

17.5 Coaching

All the students registered during the year were enrolled for postal tuition. 11,279 coaching completion certificates were issued during the year and 1,06,624 response sheets were evaluated and returned to students.

17.6 Establishment of Oral Tuition Centres

During the year under review, the Baroda Chapter, for the first time established an oral tuition centre. Thus, 29 oral coaching centres recognised by the Institute were functioning during the year under review.

17.7 'Student Company Secretary'

The Institute regularly brings out the 'Student Company Secretary' a monthly bulletin for the benefit of students pursuing the company secretaryship course mainly to apprise and

update them of legislative amendments, studies and information relating to administration of student services and practical training requirements.

17.8 Lectures on Audio Tapes

In addition to the two audio tapes on—(i) Industries (Development and Regulation) Act and (ii) Restrictive Trade Practices, during the year under report, four more audio tapes were produced and made available for sale at subsidised prices to students and members on the following topics:

(i) Unfair Trade Practices under MRTP Act, 1969;

(ii) Some important aspects of FERA;

(iii) Valuation under Central Excise Law; and

(iv) Control of Monopolies and Prevention of Concentration of Economic Power under the MRTP Act.

The respective transcripts incorporating therein the citation of cases and relevant statutory provisions were also published. The response from students and members to the audio lectures has been encouraging.

17.9 Library Facilities

During the year under review, books worth Rs. 1,68,181 were purchased for adding to the Institute's libraries under the Chapter Library Assistance Scheme. All the Chapters have now been equipped with their own libraries. Satellite libraries, to cater to students at places where there are no Chapters but there are at least 100 students and 10 members have been established at Gurgaon, Ambala and Nasik. The Postal Library Scheme is slated for implementation in two phases. In the first phase, the facility is being extended to the Final level students only. The requisite modalities for the same have been finalised. The second phase, pertaining to supply of books to the Intermediate students will be implemented after monitoring the functioning of the first phase and evaluating the feasibility of the scheme.

17.10 Headquarters Library

The Institute also maintains a library in the headquarters for research and reference purposes.

18 CAREER COUNSELLING

Numerous career counselling programmes were held during the year by the Institute directly as well as through its Regional Councils and Chapters. While providing career guidance about the company secretaryship course, use was made of exhibition material, charts, posters, brochures and transparencies to create awareness about the professional course among college students. Articles and write-ups were also published in a number of newspapers and professional magazines apart from a broadcast on All India Radio. Necessary information about the course was also provided to all the University Employment Information and Guidance Bureaux in the country. These efforts are aimed at creating greater awareness about the company secretaries profession even in remote areas.

19. EXAMINATIONS

19.1 Conduct of Examinations

During the year under report, Company Secretaries' Preliminary, Intermediate and Final examinations were held in June and December 1990, in 41 centres in India and one centre abroad in Dubai. Commencing from the June 1990 session, two new examination centres were opened, on an experimental basis, at Allahabad and Bhopal. In June 1990, 305 and 393 candidates completed the Intermediate and Final examinations respectively while the corresponding figures for December 1990, were 404 and 515 candidates.

19.2 Discontinuance of Final examination under the old syllabus

The last examination under the old syllabus (Final) was held in December 1990 as announced earlier.

19.3 Hindi medium in Examinations

In pursuance of the commitment towards increased usage of Hindi in company secretaries examinations, the Institute has allowed use of Hindi as an alternative medium for all its examinations. Further, as a progressive step, question papers for Group-I subjects of the Intermediate Examination were printed in Hindi for the December 1990 session, in addition to continuing, printing of question papers of the Preliminary examination in Hindi.

19.4 Statistics on Students in Examinations

Details of the number of candidates appeared and passed and the pass percentage in June and December 1990 examinations, are given in Appendix 'F' to the Report.

19.5 Review of the Syllabus

A Committee has been constituted to review the syllabus which was found to be unwieldy in some areas whereas in other areas it could benefit from the inclusion of recent developments and enactments of significance to the corporate sector.

19.6 All India Prize Awards

P. Ranganathan from Western Region and N. Srinivasan from Southern Region won the President's Gold Medal for outstanding performance in the Final examinations held in June and December 1990, respectively. Pt. Nehru Birth Centenary Prize was bagged by Khona Kaushik Chandrahas from Western Region. Manoj Jain from Northern Region and S. Vasudevan from Southern Region were the winners of the President's Silver Medal for outstanding performance in the Intermediate examinations held in June and December 1990 respectively. The All India Prize awards were distributed at the inaugural session of the 19th National Convention of Company Secretaries held on 11 April, 1991, in New Delhi by the chief guest, Suresh Mathur, Secretary, Departments of Industrial Development and Company Affairs Government of India.

19.7 Scholarships and Financial Assistance to Students

Pursuant to the existing Merit Scholarship Scheme, scholarships to nine eligible top meritorious students were given in June 1990 and to ten in December 1990 examinations. Similarly, financial assistance under the Merit-cum-Means Assistance Scheme was granted to three eligible candidates in each session of examinations held in December 1989 and June 1990.

19.8 Merit Certificates

With a view to recognise meritorious performance in examinations and to encourage talented students, merit certificates were awarded to the first ten rank holders in the Intermediate and Final examinations held in June and December 1990.

20 MANAGEMENT/PRACTICAL/APPRENTICESHIP TRAINING

20.1 Empanelment

During the year under report, the number of companies recognised for imparting training was as under:

Region	Management Training	Practical Training
East	5	8
North	38	45
South	20	21
West	25	33
	88	107

In addition, 15 company secretaries in whole-time practice were registered to impart apprenticeship training. The statistics of number of companies recognised for training company secretaries empanelled for apprenticeship training and number of students sponsored for undergoing various kinds of training are given in Appendix 'G' to the Report.

20.2 Monitoring and Strengthening of Training

Efforts were continued by Head Office and Regional Councils/Chapters during the year to increase the number of companies

registered for imparting management|practical training. With a view to familiarising the students with the objectives and requirements of practical experience as well as training in different areas, a detailed booklet titled 'A Guide to Trainees' has been published by the Institute. Further efforts have also been made to enlist more members to act as Training Guides to monitor the training to students and to provide necessary guidance at regular intervals.

20.3 Secretarial Modular Training Programme (SMTP)

During the year under report, 21 SMTPs were held, 4 each by SIRC, NIRC & WIRC, 2 by EIRC and one each by Head Office, Ahmedabad, Pune, Jaipur, Chandigarh, Hyderabad and Bangalore Chapters which were attended by 652 candidates.

During the year, the four modules|course material of SMTP were revised and re-printed incorporating therein various legislative changes and the feed back received from candidates who participated in earlier programmes. More emphasis was given to case studies, group discussions and use of audio-visual aids.

21. ACCOUNTS

21.1 Income & Expenditure Account

The financial results for the year show a surplus of Rs. 8 16 lacs as compared to a surplus of Rs. 6 83 lacs for the previous year. The increase in surplus is mainly due to revision of students fees with effect from July 1990.

21.2 Capitalisation of fee

As per the existing practice, a sum of Rs. 2.20 lacs being the entrance fee received from Associate and Fellow members was capitalised. The capital reserve at the end of the year stood at Rs. 24.58 lacs.

21 3 Building Reserve

As per current practice, a sum of Rs. 1.41 lacs on account of interest accrued on fixed deposits earmarked for Building Fund has been appropriated directly to the Building Reserve Account. The capital payments to the tune of Rs. 15.18 lacs, towards part of the cost of the ICSI-NIRC building and Chapters, have been transferred to General Reserve from the Building Reserve. The Building Reserve shows a total of Rs. 9.76 lacs as compared to Rs. 25.53 lacs for the previous year.

21.4 General Reserve

The General Reserve which stood at Rs. 180.29 lacs at the end of the previous year now stands increased to Rs. 203.48 lacs. It includes addition of surplus of income over expenditure of Rs 8 16 lacs for the year under report.

22. AUDITORS

Messrs Khanna & Annadhanam, Chartered Accountants, New Delhi were appointed as auditors of the Institute to audit the accounts for the year ended 31 March, 1991, pursuant to the requirements of section 18(4) of the Act. The auditors' report is published herewith alongwith the statements of account. The Council places on record its appreciation of the valuable services rendered by Messrs D. K Sengupta & Co., Chartered Accountants, who were associated as auditors of the Institute from the date of inception of the earlier Institute in 1968 till 31 March, 1990.

23. LAND AND BUILDING

23.1 ICSI-NIRC Building

The building plan for the ICSI-NIRC building in Prasad Nagar Institutional Area, Karol Bagh, New Delhi, was approved by the Delhi Development Authority and the contract for construction was awarded in September 1989.

23.2 Jaipur Chapter Building

The Jaipur Chapter which was allotted a plot admeasuring 1579.35 sq. mtrs. had started construction of the first phase of its building in June 1990, at a total cost of Rs. 8 lacs and the building is expected to be ready for inauguration in September 1991.

23.3 Pune Chapter Office Premises

The Pune Chapter is acquiring an office space of 1200 sq. ft. at an estimated cost of Rs 7.80 lacs.

23.4 Ghaziabad Chapter Office Premises

The Ghaziabad Chapter has been allotted an MIG flat by the Ghaziabad Development Authority of a built-up area of 119.94 sq. mtrs. under the self-financing scheme, at an estimated cost of Rs 5 47 lacs and the flat is under construction.

23.5 Goa Chapter Office Premises

The Goa Chapter is also acquiring office space of 83.22 sq. mtrs at an estimated cost of Rs. 4 76 lacs.

23.6 Capital Grants and Loans by the Institute

Out of the limited funds available with the Institute, the Council has so far given capital grants of Rs. 41.65 lacs and loans of Rs. 19.20 lacs to Regional Council|Chapters which have acquired or are in the process of acquiring office premises worth Rs. 91.50 lacs. The Chapters have made or are making their own arrangements to raise the balance resources for completion of their building projects. The Council places on record its appreciation of the efforts undertaken by these Chapters to acquire their own office premises. Efforts are also required to be made by these Chapters to raise additional resources for proper furnishing and maintenance of the premises and to acquire modern office equipments for providing better services to local members and students.

24. COMPANY SECRETARIES BENEVOLENT FUND

The Company Secretaries Benevolent Fund, registered as a Society by the Council in 1976, now has a strength of 1097 life members as on 31 March 1991. As per an amendment to the Bye-laws of the Fund, ordinary membership was discontinued with effect from 1 September, 1989, and life membership subscription has been revised to Rs. 500. The capital reserve and general reserve of the Fund amount to Rs. 4.53 lacs and Rs 3 24 lacs respectively, as on 31 March, 1991.

25. EMPLOYEE WELFARE MEASURES

The ICSI Employees' Club, promoted as a welfare measure in 1973, received annual financial assistance from the Council for its activities. During the year, advances amounting to Rs. 5.60 lacs were granted to employees for purchase of scooters, construction of houses, etc. Apart from helping the employees to have their own Cooperative Thrift and Credit Society and Cooperative Group Housing Society, the Council has also assisted the promotion of ICSI Employees' Benevolent Fund for which an annual grant of Rs. 10,000 has been made from the surplus of annual National Conventions for the last five years.

26 ACKNOWLEDGEMENT

The Council places on record its gratitude to the Ministers and officers of the Central Government, particularly, the Department of Company Affairs, for their continued guidance and support to the development of the profession and the activities of the Institute during the year. The Council is also grateful to various State Governments, financial and industrial and investment institutions, the corporate sector in general, and various Chambers of Commerce and Trade Associations which have been increasingly inclined to avail of the services of members of the Institute and recognise their expertise in the field of corporate laws, finance, management and allied areas The Council also places on record its deep appreciation of the assistance and cooperation of Regional Councils and Chapters and of the commitment and devotion to duty exhibited by all levels of officers and staff of the Institute.

For and on behalf of the Council
of the Institute of Company Secretaries of India
N J N. VAZIFDAR, President

New Delhi.
Date : 11 August, 1991.

APPENDIX-A

COMPOSITION OF STANDING AND NON-STANDING COMMITTEES AND ADVISORY BOARD|GROUPS

I STANDING COMMITTEES

1. Disciplinary Committee

N.J.N. Vazifdar, President	Chairman
V.P. Gupta (Government Nominee)	Member
T.V. Padmanabhan	Member

2. Examination Committee

D.K. Prahlada Rao	Chairman
O.P. Dani	Member
A.N. Navare	Member

3. Executive Committee

N.J.N. Vazifdar	Chairman
D.K. Prahlada Rao	Member
V.P. Gupta	Member
D.C. Jain	Member
Shyamal Sen	Member

II NON-STANDING COMMITTEES

4. Co-ordination Committee

(for coordination with ICAI & ICWAI)

N.J.N. Vazifdar	Chairman
D.K. Prahlada Rao	Member
O.P. Dani	Member
B.P. Dhanuka	Member
D.R. Malik	

5. Professional Development Committee

N.J.N. Vazifdar	Chairman
Bipin S. Acharya	Member
B.P. Dhanuka	Member
S.D. Israni	Member
T.V. Padmanabhan	Member
V.K. Poddar	Member
P.T. Rangamani	Member
Harish K. Vaid	Member

6. Training & Educational Facilities Committee

D.K. Prahlada Rao	Chairman
Bipin S. Acharya	Member
O.P. Dani	Member
B.P. Dhanuka	Member
A.N. Navare	Member
P.T. Rangamani	Member

7. Regulations Committee

N.J.N. Vazifdar	Chairman
D.K. Prahlada Rao	Member
O.P. Dani	Member
T.V. Padmanabhan	Member
V.K. Poddar	Member
Shyamal Sen	Member

8. Syllabus Review Committee

Shyamal Sen	Chairman
S.D. Israni	Member
P.T. Rangamani	Member
Harish K. Vaid	Member

9. ICSI—NIRC Building Committee

V.K. Poddar	Chairman
Paramjeet Singh	Vice-Chairman
K.D. Baheti	Member
O.P. Dani	Member
H.S. Grover	Member
D.C. Jain	Member
N.K. Jain	Member
T.P. Subbaraman	Member
Sanjay Grover	Member
Sunil Goyal	Member
Harish K. Vaid	Member
Virender Ganda	Member

III ADVISORY BOARDS/GROUPS

10. Advisory Group for Manual of Company Secretarial Practice

N.J.N. Vazifdar	Chairman
R. Ramachandran	Member
C.R. Shah	Member

11. Editorial Advisory Board

T.N. Pandey	Chairman
B. Bhavani Sankar	Member
Dilip Goswami	Member
D.C. Jain	Member
T.V. Narayanaswamy	Member
R.K. Pandey	Member
T.P. Subbaraman (Editor & Publisher)	Member
B.B. Tandon	Member

12. Expert Advisory Group

Justice P.N. Bhagawati (Retd.)	Chairman
R.N. Bansal	Member
Pradeep Bhalla	Member
V.P. Goel	Member
S.S. Kumar	Member
M.R. Luthra	Member
T.V. Narayanaswamy	Member

APPENDIX-B

FINANCIAL POSITION OF REGIONAL COUNCILS AND NUMBER OF STUDENTS AND MEMBERS IN EACH REGION
(as on 31-3-1991)

Item	Regional Councils			
	EIRC	NIRC	SIRC	WIRC
(a) Financial Position (in Rupees)				
Surplus for the year ended 31-3-1991	72 755	46 531	92 205	2 29 089
Reserves and Surplus as on 31-3-1991	5 70 730	7 83 778	8 12 417	3 48 658
(b) Number of Students and Members				
Students				
As on 31-3-1990	9 746	14 860	14 270	12 954
As on 31-3-1991	9 903	14 250	13 962	12 696
Members				
As on 31-3-1990	1 076	1 727	1 818	2 636
As on 31-3-1991	1 134	1 878	1 998	2 813

APPENDIX-C

TABLE OF STATISTICS ON MEMBERS

Part I—Growth of Members

Year	Total number of			Annual Growth over previous year		Removal from Register			No. of total number of removals to total membership	No. of C.P. Holders	% of C.P. Holders to total members
	Associate Members	Fellow Members	Total (1+2)	Absolute	%	Due to non-payment	Due to Death, etc.	Total (6+7)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A											
1985-86	4405 (78.59)	1200 (21.41)	5605 (100)	353	6.72	98 (92.45)	8 (7.55)	106 (100)	1.89	749	13.36
1986-87	4648 (78.25)	1292 (21.75)	5940 (100)	335	5.98	68 (82.92)	14 (17.08)	82 (100)	1.38	879	14.80
1987-88	4947 (78.09)	1388 (21.91)	6335 (100)	395	6.65	76 (86.36)	12 (13.64	88 (100)	1.39	1065	16.81
1988-89	5179 (77.66)	1490 (22.34)	6669 (100)	334	5.27	196 (92.02)	17 (7.98)	213 (100)	3.19	1192	17.87
1989-90	5647 (77.95)	1600 (22.05)	7257 (100)	588	8.81	100 (91.74)	9 (8.26)	109 (100)	1.50	1225	16.88
1990-91	6095 (77.91)	1728 (22.09)	7823 (100)	566	7.79	116 (89.92)	13 (10.08)	129 (100)	1.64	1188	15.19
B Absolute change (1985-86 to 1990-91)	1690 (76.20)	528 (23.80)	2218 (100)					23			
C Percentage change (1985-86 to 1990-91)	38.36	44.00	39.57					21.69			
D Average Annual Growth Rate (%)	7.67	8.80	7.91					4.33			
E Compound Annual Growth Rate (%)	6.71	7.59	6.90					4.00			

Note : Figures in brackets are in percentage □ C.P.=Certificate of Practice.

PART II– CERTIFICATE OF PRACTICE HOLDERS

	Year	During the year				Total number of Members holding Certificate of Practice as on 31 March
		Issued	Renewed	Cancelled	Net increase	
	1	2	3	4	5	6
A	1985-86	145	604	68	77	749
	1986-87	185	694	55	130	879
	1987-88	247	818	61	186	1065
	1988-89	258	934	131	127	1192
	1989-90	122	1103	89	33	1225
	1990-91	135	1053	216	–37	1188
B	Absolute change (1985-86 to 1990-91)					439
C	Percentage change (1985-86 to 1990-91)					58.61
D	Average Annual Growth Rate (%)					11.72
E	Compound Annual Growth Rate (%)					9.70

APPENDIX-D

LIST OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES

	Period	Place	Programme
1.	July 25—28, 1990	New Delhi	Orientation Programme for Secretaries in Government Companies
2.	October 3—4, 1990	Hyderabad	ICSI—DPE Joint Programme on "Legal and Secretarial Management in Government Companies"
3	December 13—14, 1990	New Delhi	ICSI—DPE Joint Programme on "Current Issues in Legal & Management Aspects of Government Companies"

APPENDIX-E

STATISTICS ON STUDENTS
(1985-86 to 1990-91)

	Year	Registered Students		Candidates who completed	
		Total	Current	Intermediate	Final
A	1985-86	1 18 396	51 670	1 275	420
	1986-87	1 26 348	51 020	1 681	510
	1987-88	1 34 657	50 519	1 394	616
	1988-89	1 45 051	51 459	1 234	824
	1989-90	1 57 175	52 335	1 151	779
	1990-91	1 69 337	50 860	709	908
B	Absolute change (1985-86 to 1990-91)	50 941			
C	Percentage Change (1985-86 to 1990-91)	43.07			
D	Average Annual Growth Rate (%)	8.61			
E	Compound Annual Growth Rate (%)	7.42			

APPENDIX-F

STATISTICS ON STUDENTS APPEARED AND PASSED IN EXAMINATIONS
I—June 1990 Session

Examination	Appeared	Passed	Pass Percentage
Preliminary	66	2	3.03
Intermediate**			
Group I	2553	425	16 73
Group II	3421	531	15.52
Final (Old Syllabus)*			
Group I	511	179	33.08
Group II	897	277	30.88
Group II	1351	254	18.80
Final (New Syllabus)**			
Group I	381	116	30.44
Group II	358	115	32.12
Group III	607	186	30.64

** 1054 candidates appeared for both groups out of whom 44 candidates passed both groups (4.17%)
* 183 candidates appeared for all groups out of whom 5 candidates passed all groups (2.73%)
** 69 candidates appeared for all groups out of whom 5 candidates passed all groups (7.24%).

II—December 1990 Session

Examination	Appeared	Passed	Pass Percentage
Preliminary	76	5	6 57
Intermediate**			
Group I	2809	485	17.27
Group II	3870	676	17.46
Final (Old Syllabus)≠			
Group I	406	140	34 48
Group II	785	272	34 65
Group III	1379	339	24.58
Final (New Syllabus)≠≠			
Group I	500	236	47 20
Group II	522	139	26 62
Group III	696	151	21 69

** 1296 candidates appeared for both groups out of whom 92 candidates passed both groups (7 09%)

≠ 178 candidates appeared for all groups, out of whom 7 candidates passed all groups (4 49%)

≠≠ 144 candidates appeared for all groups out of whom 24 candidates passed all groups (16 66%)

APPENDIX-G

STATISTICS ON TRAINING TO STUDENTS
(1986-87 To 1990-91)

Sl No.	Training	No of Companies/Company Secretaries recognised as on 31st March					No of students sponsored during the year ending 31st March				
		1987	1988	1989	1990	1991	1987	1988	1989	1990	1991
1.	Management Training	120	262	371	460	558	16	74	170	125	129
2.	Practical Training	580	661	762	850	957	326	432	542	519	664
3.	Apprenticeship Training with company secretaries in practice	26	32	67	86	101	25	40	80	82	68

KHANNA & ANNADHANAM
CHARTERED ACCOUNTANTS
706, Akash Deep, 26-A, Barakhamba Road
P.O. Box 648, New Delhi-110 001

AUDITORS' REPORT

We have audited the Balance Sheet of the Institute of Company Secretaries of India as at 31st March, 1991 and also the annexed Income and Expenditure Account for the year ended on that date. We report that:

1. we have obtained all information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
2. the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account dealt with by the report are in agreement with the books of account; and
3. in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statements give a true and fair view:
   (i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs as at 31st March, 1991, and
   (ii) in the case of the Income and Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.

For KHANNA AND ANNADHANAM
Chartered Accountants

Sd/-
(B.J. SINGH)
Partner

Place New Delhi

Dated: August 19, 1991

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 1991

	Schedule	31st March, 1991		31st March, 1990	
		(Rs. 000)	(Rs. 000)	(Rs. 000)	(Rs. 000)
SOURCES OF FUNDS					
Capital Reserve	1		2,458		2,238
Building Reserve	2		976		2,353
General Reserve	3		20,348		18,029
			23,782		22,620
APPLICATION OF FUNDS					
Fixed Assets	4				
Gross Block		17,815		15,328	
Less: Depreciation		4,328		3,691	
Net Block			13,487		11,637
Investments	5		10,072		9,472
Current Assets Loans and Advances					
Current Assets	6	4,969		5,735	
Loans and Advances	7	8,181		8,223	
		13,150		13,958	
Less: Current liabilities and Provisions	8	12,927		12,447	
Net Current Assets			223		1,511
			23,782		22,620
ACCOUNTING POLICIES	15				

Notes: 1. Till previous year interest on cumulative Bonds of Public Sector Undertakings was taken to income on equated method by dividing the total cumulative interest by the number of years (maturity period). From the current year, interest has been taken to income to the extent actually accrued at the end of the year. This has resulted in income for the year being higher by Rs. 97 thousands. The excess interest taken to income in the previous years amounting to Rs. 928 thousands has been debited to General Reserve by credit to Interest Accrued Account and has not been adjusted through Income and Expenditure Account.

2. No provision for taxation has been considered necessary in view of the application for exemption u/s 10(23C)(iv) of the Income-Tax Act, 1961 pending with the Government.

3. Previous year figures have been regrouped to make them comparable with current year figures.

As per our report of even date

For KHANNA AND ANNADHANAM
Chartered Accountants
Sd/-
(B.J. SINGH)
PARTNER

	Sd/-	Sd/-	Sd/-
New Delhi	(T.P. SUBBARAMAN)	(D.K. PRAHLADA RAO)	(N.J.N. VAZIFDAR)
August 19, 1991	Secretary & Executive Director	Vice-President	President

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 1991

	Schedule	31st March, 1991 (Rs. 000)	31st March, 1990 (Rs. 000)
INCOME			
Fees	9	17,610	15,864
Subscription to Journal/Bulletin and Advertisements		2,234	2,143
Sale of publications		1,241	1,122
Interest on Investments		1,582	1,335
Surplus from Convention and Programmes	10	8	115
Other Income	11	63	34
		22,738	20,613
EXPENDITURE			
Grants to Regional Councils/Chapters		1,263	1,108
Regional Offices		259	168
Establishment	12	8,767	7,951
Postal Tuition		3,121	3,105
Publications and Office Stationery		1,019	922
Journal/Bulletin		2,039	1,709
Travelling and Conveyance		852	674
Examination expenses		1,390	1,251
Communication expenses	13	1,244	1,122
Student Scholarships & Awards		37	38
Depreciation		649	672
Provision for Bad & Doubtful Debts		14	4
Other expenses	14	1,268	1,206
Excess of Income over Expenditure transferred to General Reserve		816	683
		22,738	20,613

As per our report of even date

For KHANNA AND ANNADHANAM
Chartered Accountants
Sd/-
(B.J. SINGH)
PARTNER

New Delhi
August 19, 1991

Sd/-
(T.P. SUBBARAMAN)
Secretary & Executive Director

Sd/-
(D.K. PRAHLADA RAO)
Vice-President

Sd/-
(N.J.N. VAZIFDAR)
President

2341 GI/91—6

CAPITAL RESERVE

	31st March, 1991 (Rs. 000)		31st March, 1990 Rs. 000)	
As per last Account		2,238		2,037
Add: Entrance Fees—				
Associate Members	192		176	
Fellow Members	28	220	25	201
		2,458		2,238

Schedule 2

BUILDING RESERVE

	31st March, 1991 (Rs. 000)		31st March, 1990 (Rs. 000)	
As per last Account		2,353		2,496
Add: Donations	—		75	
Contribution from Regional Councils/Chapters	747		899	
Interest on Fixed Deposits	141		240	
Reduction in cost of Regional Councils/Chapters' land/building	—	888	9	1,223
		3,241		3,719
Less: 1. Transfer to General Reserve —Contribution from Regional Councils/Chapters*	747		899	
—Construction cost borne by the Institute	1,518		449	
	2,265		1,348	
2. Reduction in cost of Regional Councils'/Chapters' land/building	—	2,265	18	1,366
		976		2,353

*This includes Rs. 738 thousands received in the previous year and shown under Current Liabilities.

Schedule 3

GENERAL RESERVE

	31st March, 1991 (Rs. 000)		31st March, 1990 (Rs. 000)	
As per last Account		18,029		15,636
Add: Transfer from Building Reserve	2,265		1,348	
Excess provision for				
(a) grants written back	158		—	
(b) Property tax written back	8		362	
Surplus as per Income & Expenditure A/c	816	3,247	683	2,39
		21,276		18,029
Less: Adjustment due to change in the basis of accruing interest on Bonds of Public Sector Undertakings— See Note 1 on Balance Sheet		928		—
		20,348		18,029

FIXED ASSETS

ITEMS	GROSS BLOCK			
	Cost as on 1-4-90	Additions during the year	Sales/Adjustment during the year	Total cost as on 31-3-91
Land	2,424	—	—	2,424
Buildings	8,639	—	—	8,639
Cycle/Scooter Shed	20	—	—	20
Buildings (under constrn.)	221	2,265	—	2,486
Furniture & Fixtures	1,151	25	1	1,175
A/C Installation & Coolers	892	44	—	936
Computer	84	—	—	84
Electrical Equipment	168	18	—	186
Office Equipment	796	57	12	841
Other Equipment	19	1	—	20
Library Books	795	91	—	886
Vehicle	119	—	1	118
This Year Total	15,328	2,501	14	17,815
Previous Year Total	13,526	1,926	124	15,328

Rs. 000 Schedule 4

DEPRECIATION				NET BLOCK	
As on 1-4-90	For the year	Adjustment during the year	Total depreciation	As on 31-3-91	As on 31-3-90
—	—	—	—	2,424	2,424
1,342	365	—	1,707	6,932	7,297
19	*	—	19	1	1
—	—	—	—	2,486	221
622	55	—	677	498	529
555	57	—	612	324	337
12	11	—	23	61	72
72	17	—	89	97	96
498	53	12	539	302	298
10	2	—	12	8	9
536	70	—	606	280	259
25	19	*	44	74	94
3,691	649	12	4,328	13,487	11,637
3,068	672	49	3,691	11,637	10,458

*less than Rs. one thouand

Notes:

1. The rate of depreciation for fans (included in electrical equipment) and various types of clocks (included in office equipment) has been increased from 10% to 15%.
2. Full year's depreciation has been provided on all the purchases made during the year.
3. Buildings under construction include advance payment for purchase of constructed flats.

Schedule 5

INVESTMENTS

	31st March, 1991 (Rs. 000)	31st March, 1990 (Rs. 000)
Bonds of Public Sector Undertakings	5,200	5,200
Fixed Deposits with Banks	4,800	4,200
Investments for Prize Awards (Per Contra)		
Bonds of Public Sector Undertakings	40	40
Fixed Deposits with Banks	32	32
	10,072	9,472

Schedule 6

CURRENT ASSETS

		31st March, 1991 (Rs. 000)		31st, March, 1990 (Rs. 000)	
STOCK					
(Valued at lower of direct cost or market value as certified by the Management)					
Publications		494		539	
Paper		463		630	
Study Material		1,932		2,129	
Others		241		137	
			3,130		3,435
SUNDRY DEBTORS					
(a) Unsecured considered good					
Outstanding for more than six months		9		25	
Others		128		170	
		137		195	
(b) Unsecured considered doubtful	20		6		
Less: Reserve for Bad & Doubtful Debts	20	—	6	—	
			137		195
CASH AND BANK BALANCES					
Cash, Postal Stamps & Drafts in hand		94		82	
Bank Balances with Scheduled Banks in Savings Bank Accounts		1,608		2,023	
			1,702		2,105
			4,969		5,735

Schedule 7

LOANS AND ADVANCES (UNSECURED CONSIDERED GOOD)

	31st March, 1991 (Rs. 000)	31st March, 1990 (Rs. 000)
LOANS		
Regional Councils/Chapters	1,410	1,754
ADVANCES		
Accrued Interest on Investments	5,064	4,699
Employees	1,185	950
Regional Councils/Chapters	72	—
Prepaid Expenses	177	79
Sundry Deposits	161	137
Other Advances	112	604
	8,181	8,223

Scheduled 8

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

	31st March, 1991 (Rs. 000)		31st March, 1990 (Rs. 000)	
CURRENT LIABILITIES				
Sundry Creditors	234		523	
Unexpired Students Registration Fee	5,873		5,200	
Grants payable to Regional Councils/Chapters	714		509	
Fee and other amounts received in Advance	644		86	
Donation Reallocated	306		521	
Expenses Payable	1,424		1,640	
Hospitalisation Scheme	23		15	
Deposits received for prize awards (per Contra)	72		72	
Company Secretaries & ICSI Employees	39		62	
Benevolent Funds				
Contribution for Building from NIRC	—		738	
		9,329		9,366
PROVISIONS				
Gratuity	1,667		1,526	
Pension	1,931		1,555	
		3,598		3,081
		12,927		12,447

Schedule 9

FEES FROM MEMBERS AND STUDENTS

	31st March, 1991 (Rs. 000)		31st March, 1990 (Rs. 000)	
MEMBERS				
Annual Fees	2,133		2,006	
Other Fees	17		24	
		2,150		2,030
STUDENTS				
Examination Fees	3,624		3,370	
Postal Tuition Fees	9,136		8,263	
Registration Fees	2,682		2,682	
Licentiate Fees	90		53	
Exemption Fees	972		609	
Other Fees	39		29	
		16,543		15,006
TOTAL FEES		18,693		17,036
Less: Allocated to Subscription for Journal/Bulletin		1,083		1,172
		17,610		15,864

Schedule 10

INCOME FROM CONVENTION AND PROGRAMMES

	31st March, 1991 (Rs 000)		31st March, 1990 (Rs. 000	
Receipts				
Delegate Fees	—		775	
Advertisements	—		89	
Excess provision written back	10		—	
Others	—		89	
	—	10		953
Less Expenditure				
Direct			818	
Others	2	2	—	818
Less Allocation to Company Secretaries/ ICSI Employees Benevolent Funds	—	2	20	838
		8		115

Schedule 11

OTHER INCOMES

	31st March, 1991 (Rs. 000)	31st March, 1990 (Rs. 000)
Interest on Staff Advances	23	14
Surplus on sale of Fixed Assets	4	2
Miscellaneous Income	36	18
	63	34

Schedule 12

ESTABLISHMENT COSTS

	31st March, 1991 (Rs. 000)	31st March, 1990 (Rs. 000)
Salary and Allowances	7,166	6,531
Staff Welfare	524	470
Contribution to Provident Fund	361	334
Gratuity	295	321
Pension	421	295
	8,767	7,951

Note Gratuity paid during the year to retired employees—Rs 153 thousands

Schedule 13

COMMUNICATION EXPENSES

	31st March, 1991 (Rs 000)	31st March, 1990 (Rs 000)
Postage and Telegrams	939	812
Telephone, Telex and Intercom	305	310
	1,244	1,122

Schedule 14

OTHER EXPENSES

	31st March, 1991 (Rs. 000)	31st March, 1990 (Rs. 000)
Advertisement and Publicity	87	81
Bank Charges	25	23
Electricity and Water	209	185
Insurance	14	15
Rent, Rates and Taxes	138	125
Repairs and Maintenance	174	154
Legal	33	83
Motor Car Expenses	60	33
Office Expenses	107	107
Computerisation	159	119
Payment to Auditors		
—Statutory Audit	10	10
—Internal Audit	—	18
Professional Training and Development	29	63
Meetings	63	43
Packing and Freight	160	118
	1,268	1,206

Schedule 15

ACCOUNTING POLICIES

1. Entrance fee from fellow and associate members is capitalised when received.
2. Direct donations and contributions by Regional Councils/Chapters towards the cost of land and buildings are credited to Building Reserve. Funds actually utilised towards purchase of land/construction of buildings are transferred to General Reserve.
3. Interest earned on investment of building funds as a part of overall investment of funds calculated on the basis of average funds available during the year and credited to Building Reserve
4. Fees received from students is accounted for on receipt basis except registration fee which is taken to income equally over a five year period.
5. Inventories of paper, publications and study materials are valued at cost.
6. Investments are valued at cost.
7. Depreciation on fixed assets is charged on written down value basis at the rates approved by the Council. Depreciation on additions is charged for the full year.
8. Provision for Gratuity and Pension is made on the basis of actuarial valuation. Accumulated funds are invested in Bonds of Public Sector Undertakings along with surplus funds of the Institute without separate identification.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991